संख्याःफिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14) 16/70–खण्ड–42–8141–8143–13.12.18
हिमाचल प्रदेश सरकार,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग।

प्रेषकः

निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

प्रेषितः

प्रधान सचिव (शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार,
शिमला–171002.
दिनाँक, शिमला–171009..............

विषयः हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के वर्ष 2016–2017 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन बारे

महोदय

उपरोक्त विषय पर आपको हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला का वर्ष 2016–2017 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है। आपसे अनुरोध है कि सचिव, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर आगामी कार्यवाही करके पैरावार उत्तर उप नियंत्रक, निवासी अंकेक्षण योजना, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी करने की कृपा करें।

भवदीय

हस्ता/–
(डा0 सुनील कुमार आंगरा)
अतिरिक्त निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
दूरभाषः 0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि, दिनांक, शिमला–171009
प्रतिलिपिः–

पंजीकृतः 1 सचिव, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 को उक्त अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित पैरों पर की गई कार्यवाही से सम्बन्धित सटिप्पण उत्तर उप नियंत्रक (लेखा परीक्षा), निवासी अंकेक्षण योजना, स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को शीघ्र प्रेषित करें।

2 उप नियंत्रक, निवासी अंकेक्षण योजना, स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश को अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

हस्ता/–
(डा0 सुनील कुमार आंगरा)
अतिरिक्त निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

# प्रस्तावना

1. यह प्रतिवेदन हि0 प्र0 सरकार को प्रस्तुतीकरण हेतु बोर्ड अधिनियम, 1968 की धारा–15(4) अनुसार तैयार किया गया है ।
2. प्रतिवेदन के भाग–I में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला, जिला कांगड़ा के लेखों अवधि 2016–2017 के वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित गम्भीर अनियमितताओं का सार तथा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों अवधि 9/1969 से 31.3.2016 तक अनिर्णीत चले आ रहे पैरों का विवरण भी दिया गया है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट –"A"** में भी दिया गया है।
3. प्रतिवेदन के भाग–II में बोर्ड की वित्तीय स्थिति तथा विचाराधीन वर्ष 2016–17 की पूर्व व पोस्ट आडिट आपत्तियों का सविस्तार विवरण दिया गया है ।
4. हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड के अंकेक्षित लेखे बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार को विधान सभा पटल पर रखे जाने हेतु प्रेषित किए जाने अपेक्षित हैं ।

# विषय सूची


| क्र0सं0 | विवरण | पृष्ठ संख्या |
| --- | --- | --- |
| 1. | प्राक्कथन | 3 |
| 2. | कार्य पालक सार | 3 |
| 3. | अंकेक्षण के मुख्य परिणामों का सक्षिप्त विवरण | 3 से 4 |
| 4. | गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित असमायोजित पैरों का विवरण | 5 |
| 5. | अंकेक्षण शुल्क | 6 |
| 6. | बोर्ड की वित्तीय स्थिति | 6 से 8 |
| 7. | निवेशों का विवरण | 8 से 10 |
| 8. | बोर्ड की आय व व्यय का वित्तीय विश्लेषण | 10 से 13 |
| 9 | अंकेक्षण वर्ष 2016–17 की अंकेक्षण आपत्तियों का सविस्तार विवरण | 13 से 40 |

# हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला के लेखाओं का
# अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
# अंकेक्षण अवधि 01.04.2016 से 31.03.2017
## भाग–एक

## 1 प्राक्कथन

हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिनियम 1968 की धारा 15, के अनुसार बोर्ड के लेखाओं का अंकेक्षण उस संस्था द्वारा किया जाएगा जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है तथा तदानुसार हि0 प्र0 के शिक्षा विभाग ने अपनी अधिसूचना संख्याः 21–3/70– दिनांक 18.03.1971 द्वारा स्कूल शिक्षा बोर्ड के अंकेक्षण करने के लिए हि0 प्र0 वित्त विभाग के स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को बतौर निवासी अंकेक्षण योजना के आधार पर प्राधिकृत किया गया था ।

### (क) कार्यपालक सार

उपरोक्त अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारियों ने इस संस्था में बतौर कार्यपालक कार्य किया हैः–

| क्र0 सं0 | पदनाम | नाम | अवधि |
|---|---|---|---|
| 1 | अध्यक्ष | श्री बलवीर तेगटा<br>(सेवा निवृत आई.ए.एस.) | 1.04.16 से 31.03.17 |
| 2 | सचिव | (i) श्री श्रवण मांटा<br>(ii) डॉ. (मेजर) विशाल शर्मा | 1.4.16 से 26.04.16<br>27.04.16 से 31.3.17 |
| 3 | उप नियंत्रक<br>(वित्त एवं लेखा) | श्री सुरेन्द्र भारद्वाज | 01.04.16 से 31.3.17 |

**(ख) हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला, जिला कांगड़ा के लेखों अवधि 2016–2017 के वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–**

| क्र0सं0 | विवरण | भाग एवं पैरा सं0 | राशि (₹) लाखों में |
|---|---|---|---|
| 1. | गत 47 वर्षों से वकाया 1277 अंकेक्षण पैरों के समायोजन/निपटारे हेतु कार्यवाही न किया जाना | 1 (ग) | विवरण **परिशिष्ट "A"** में दिया गया है। |
| 2. | बैंकों द्वारा जमा बैंक ड्राफ्ट/चैकों के विरूद्व कम जमा (क्रेडिट) दिया जाना । | 4 (ख) (i) | 28.03 |
| 3 | रोकड़ बही व बैंकों के अन्तशेष में असमायोजित | 4 (ख) (iii) | 34.54 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | अन्तर की राशि | | |
| 4. | सावधि जमा योजना में निवेशित राशियों को समय से पूर्व परिपक्व करवाने के कारण अर्जित होने वाले ब्याज की हानि । | 4 (ग) (ii) | 39.37 |
| 5. | उच्चत्तर दर पर राशियां निवेश न करने के कारण बोर्ड को वित्तीय हानि । | 4 (ग) (iii) | 10.94 |
| 6 | गत वर्ष की अपेक्षा आय में लगभग 10 करोड़ रूपये की कमी व व्यय में लगभग 15 करोड़ की वृद्धि होना | 4 (घ) (i) | विवरण पैरे में दिया गया है |
| 7. | वर्ष की कुल प्राप्तियों की तुलना में व्यय अधिक किया जाना । | 4(घ) (ii) | 302.75 |
| 8. | परीक्षा संचालन शीर्ष के अर्न्तगत प्राप्त वसूलियों की तुलना में व्यय अधिक किया जाना । | 4 (घ) (ix) | 474.37 |
| 9. | वार्षिक लेखों में आय का अवर्गीकृत दर्शाया जाना | 4(घ) (xvii) | 49.73 |
| 10. | प्रदेश सरकार की अनुमति बिना सामान्य निधि से पैंशन/ग्रच्युटी निधि को राशि हस्तान्तरित करना | 5(घ) | 3328.28 |
| 11. | सामान्य भविष्य निधि बैंक खातों में जमा अन्तशेष की तुलना में खाताधारकों के खातों में जमा अन्तशेष का कम पाया जाना | 7 (ग) | 745.34 |
| 12. | देय विलम्व शुल्क की बसूली न करना | 12 | 6.03 |
| 13. | बोर्ड द्वारा स्कूल शिक्षा सुधार हेतु प्रदेश सरकार के पास किसी भी राशि का जमा न करवाया जाना । | 13 | विवरण पैरे में दिया गया है |
| 14. | विभिन्न पुस्तक केन्द्रों द्वारा बेची गई पुस्तकों की पूर्ण राशि बैंक में जमा न करवाने के कारण राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन | 17 (घ) | 0.55 |
| 15. | मुद्रकों से बैंक गारण्टी लिए बिना कागज का जारी किया जाना | 18 | 509.06 |
| 16. | निदेशक मण्डल की अनुमति वगैर कर्मचारियों को परिश्रमिक का अनियमित भुगतान करना | 21 | 1.56 |
| 17. | अस्थाई अग्रिम राशियों का समायोजन न करना | 24 | 3032.79 |
| 18. | शैक्षणिक सत्र मार्च, 2016 में आयोजित परीक्षा के संचालन हेतु प्रदत्त अग्रिम में से अनुपयोग राशि की वसूली न करना | 25 | 8.99 |
| 19 | पूर्व अंकेक्षण के दौरान विभिन्न बिलों से समय–2 पर की गई कटौतियाँ | 28 | 15.65 |

**(ग) गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन**

पूर्ववर्ती वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के बहुत से पैरे, जिनका विवरण **परिशिष्ट "A"** में दिया गया है, की अनुपालना न करने के कारण अभी तक समायोजन/निस्तारण हेतू शेष है। वर्ष 1971 से 31.03.2016 तक निम्नलिखित विवरणानुसार कुल 1277 पैरे समायोजन हेतु लम्बित है, जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है:–

| क्रम संख्या | अवधि | अनिर्णीत पैरों की कुल संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 1971–1980 | 117 |
| 2 | 1981–1990 | 252 |
| 3 | 1991–2000 | 348 |
| 4 | 2001–2010 | 373 |
| 5 | 2011–2016 | 187 |
| | **Total** | **1277** |

इस प्रकार पुराने पैरों के निपटारे हेतू कोई कार्यवाही न करना बोर्ड प्रशासन की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता परिलक्षित करता है जिससे जहां अंकेक्षण का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है वहीं लेखों के रखरखाव में भी अपेक्षित सुधार सम्भव नहीं हो पाता है। अतः यह विषय बोर्ड प्रशासन के विशेष ध्यान में लाया जाता है व परामर्श दिया जाता है कि वर्षों से अनिर्णीत अंकेक्षण पैरों के समाधान हेतु विशेष अभियान चलाया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

## भाग–2

## 2 वर्तमान अंकेक्षण

हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड में निवासी अंकेक्षण योजना अधिसूचना संख्याः 21–3/70–शिक्षा–11 दिनांक 18.3.1971 के अनुसार आरम्भ की गई थी । अवधि 1.04.2016 से 31.03.2017 तक श्री कशमीर सिंह वर्मा, उप नियंत्रक (ले0प0) इस योजना के प्रभारी रहे।

"Audit report has been prepared on the basis of information furnished and made available by the Controlling Officer of the Institution.

Local Audit Department disclaims any responsibility for any mis-information or non submission of information on the part of auditee. Responsibility of audit is confined to the months selected for detailed check for post audit."

## 3 अंकेक्षण शुल्क

निवासी अंकेक्षण योजना, हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का अंकेक्षण शुल्क वर्ष 2016–2017 हेतू ₹72,83,427 आंका गया है। उक्त शुल्क की राशि रेखांकित चैक संख्याः 987663 से ₹40,00,000 व चैक संख्याः 987664 से ₹32,83,427 दिनांक 23.8.17 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को भेज दी गई है।

## 4 वित्तीय स्थिति

**(क)** हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की वित्तीय वर्ष 2016–17 के लेखों पर आधारित वितीय स्थिति निंम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "क"** पर दिया गया।

| **विवरण** | **राशि (₹)** |
|---|---|
| रोकड बही अनुसार प्रारम्भिक शेष | 64,13,35,936.15 |
| बार्षिक प्राप्तियां | 67,05,96404.55 |
| ब्याज | 3,95,69,446.78 |
| **कुल योग** | **1,35,15,01,787.48** |
| व्यय | 74,04,40,659.00 |
| दिनांक 31.3.2017 को अन्तिम शेष | 61,10,61,128.48 |
| **दिनांक 31.3.2017 को बैंक शेष** | **62,65,32,059.20** |

**दिनांक 31.3.2017 को बैंक में जमा राशियों का विवरणः–**

दिनांक 31.3.2017 को बैंक में जमा राशियों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

| **क्र0सं0** | **विवरण** | **राशि (₹)** |
|---|---|---|
| 1 | विभिन्न बचत बैंक खातों में जमा राशि **(परिशिष्ट 'क')** | 41,03,47,859.20 |
| 2 | विभिन्न बैंकों की सावधिक जमा योजना में निवेशित राशि **(परिशिष्ट 'ग')** | 21,61,84,200.00 |
| | **कुल योग** | **₹62,65,32,059.20** |

**(ख) बैंक समाधान विवरणी**

दिनांक 31.3.2017 को रोकड बही के अन्तशेष तथा बैंक में जमा शेष में निम्न प्रकार से अन्तर पाया गया।

| क्र0सं0 | विवरण | राशि (₹) |
|---|---|---|
| | दिनांक 31.3.2017 को रोकड बही के अनुसार अन्तिम शेष अन्तिम | 61,10,61,128.48 |
| 1 | दिनांक 1–1–2017 से 31–3–2017 तक भुगतान हेतु जारी चैकों की राशि जोकि दिनांक 31–3–2017 तक बैंक खातों से भुनाए नहीं गए हैं। **परिशिष्ट "ख"** में वर्णित विवरणानुसार) | (+) 2,17,24,203.00 |
| 2. | बैंक में जमा विभिन्न प्राप्त चैक / बैंक ड्राफ्ट जिनका जमा (क्रेडिट) बैंक द्वारा दिनांक 31–3–2017 तक नहीं दिया गया है। **परिशिष्ट "ख 1"** में वर्णित विवरणानुसार) | (–) 2802931.00 |
| | **योग** | **1,89,24,932.00** |
| 3 | बैंक द्वारा दिया गया अधिक क्रेडिट **परिशिष्ट "ख 1"** | (+) 3660 |
| 4 | कुल योग | 62,99,86,060.48 |
| 5 | दिनांक 31.3.2017 को बैंक में शेष जमा राशि | 62,65,32,059.00 |
| 6 | रोकड़ बही व बैंक में जमा शेष में अन्तर जिसका समाधान नहीं किया गया | 34,54,001.48 |

## (i) बैंक द्वारा ₹28.03 लाख का कम जमा (क्रेडिट) प्रदान करना

आय शाखा द्वारा वर्ष 2016–17 में विभिन्न बैंक चैकों/ड्राफ्टों के माध्यम से प्राप्त आय से सम्बन्धित अभिलेख की जांच पर पाया गया कि शाखा द्वारा जो बैंक ड्राफट/चैक बैकों में जमा करवाए गए थे उनमें से बैंकों द्वारा **परिशिष्ट "ख–1"** में दिए विवरणानुसार ₹26,88,506 ड्राफट/चैकों का जमा (क्रेडिट) प्रदान नहीं किया गया जबकि ₹114425 का कम जमा (क्रेडिट) दिया गया था। इस प्रकार विभिन्न बैकों द्वारा कुल ₹28,02,931 का कम जमा (क्रेडिट) प्रदान किया गया जोकि एक गम्भीर चिन्तनीय विषय है । अतः अबिलम्ब यह प्रकरण सम्बन्धित बैंकों से उठाकर वस्तुस्थिति स्पष्ट करके वांछित कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा उक्त वर्णित पूर्ण राशि का बोर्ड खाते में क्रेडिट प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि किसी प्रकार की वित्तीय हानि की स्थिति को नकारा जा सके ।

## (ii) बैंकों द्वारा ₹3660 का अधिक जमा (क्रेडिट) प्रदान किया दर्शाना

लेखा शाखा द्वारा ऊपर वर्णित क्रम सं0 3 पर चैक/बैंक ड्राफट जिनका जमा क्रेडिट बैंक द्वारा दिंनाक 31.03.2017 तक नहीं दिया गया था, की राशि में से बैंकों द्वारा ₹3660 का अधिक जमा (क्रेडिट) प्रदान किया दर्शाया है, परन्तु अधिक जमा का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया है **परिशिष्ट "ख–1"** । अतः इस सन्दर्भ में वान्छित कार्यवाही करके व तदानुसार लेखों में प्रविष्टी करके राशि का समायोजन सुनिश्चित किया जाए।

**(iii) रोकड़ बही व बैंक के अन्तिम शेष में असमायोजित ₹34.54 लाख के अन्तर का पाया जाना**

उक्त बैंक समाधान विवरणी के अनुसार बैंक शेष तथा रोकड़ बही के अन्तिम शेष में ₹34,54,001.48 का अन्तर समाधान हेतु शेष रहता है। यह राशि बैंक खातों में कम पाई गई है तथा यहाॅ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह अन्तर गत कई वर्षों से चला आ रहा है परन्तु बोर्ड प्रशासन द्धारा इस अन्तर के समाधान हेतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है, जोकि एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः वर्णित अन्तर के समाधान हेतु तुरन्त यथोचित कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि इस सन्दर्भ में किसी प्रकार के दुर्विनियोजन की सम्भावना को नकारा जा सके।

**(ग) निवेश**

बोर्ड द्वारा दिनांक 31.3.2017 को सामान्य खाते में से **परिशिष्ट 'ग'** के अनुसार ₹21,61,84,200 सावधि जमा खाते में निवेश की गई थी।

**(i) निवेशों से प्राप्त ब्याज आय को सम्बन्धित शीर्ष के अन्तर्गत न दर्शाया**

अंकेक्षण में पाया गया कि विभिन्न निवेशित राशियों पर अर्जित ब्याज को शीर्ष संख्याः 111 के अन्तर्गत इकटठा दर्शाया जा रहा है परन्तु प्रत्येक शीर्ष से निवेशित राशि पर अर्जित ब्याज को सम्बन्धित शीर्ष के अन्तर्गत अलग से नहीं दर्शाया जा रहा है। उदाहरण के रूप में पुस्तक शीर्ष से बैकों में जमा/निवेशित राशियों पर अर्जित ब्याज को उक्त शीर्ष 111 के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, जबकि इसे पुस्तक शीर्ष के अर्न्तगत ही दर्शाया जाना अपेक्षित था। अतः इस दिशा में सुधार की आवश्यकता है जिस सन्दर्भ में नियमानुसार वांछित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए।

**(ii) सावधि जमा योजना में निवेशित ₹616.00 लाख़ को अनावश्यक रूप से समय से पूर्व परिपक्व करवाने के कारण ब्याज के रूप में अर्जित होने वाली आय ₹39.37 लाख की हानि**

बोर्ड प्रशासन द्वारा दिनांक 22.8.2016 से 24.8.2016 तक ₹6,16,00,000 की सावधि जमा योजना में निवेशित राशियों को समय से पूर्व परिपक्व करवाकर खाता संख्या 7432 में जमा करवाया गया था जिसके परिणामस्वरूप सम्बन्धित बैंकों द्वारा देय परिपक्वता राशि ₹6,63,69,552 की जगह केवल ₹6,24,32,129 का भुगतान किया गया तथा इस प्रकार ₹3937423 का ब्याज बोर्ड को कम प्राप्त हुआ। अभिलेख की जांच में पाया गया कि उक्त ₹6,16,00,000 की सावधिक जमा राशि को समय से पूर्व परिपक्व करवाने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उक्त तिथियों को बोर्ड के अन्य खातों में करोड़ों रूपये शेष जमा पड़े थे । उदाहरण के रूप में खाता सं0 7432 में ही दिनांक 20.8.2016 को ₹72,21,233 जमा थे तथा इस खाते से 31.8.16 तक ₹1,25,41,205 व्यय किये गये जिसके लिए बोर्ड प्रशासन द्वारा उपरोक्त वर्णित ₹6,16,00,000 की सावधिक जमा समय पूर्व भुना ली गई जबकि इसी दिन बोर्ड के हिमाचल प्रदेश स्टेट कोओपरेटिव बैंक शाखा हटली के चालू खाता संख्या 60 में भी ₹3.13 करोड़ शेष जमा थे। चूंकि चालू खातों में जमा राशि पर बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाता है, इसलिए सावधिक जमा को समयपूर्व भुनाने की अपेक्षा जिस राशि पर कोई ब्याज नहीं मिल रहा है पहले उसे उपयोग में लाया जाना चाहिए था ताकि ब्याज आय की हानि रोकी जा सके। इसी प्रकार माह सितम्बर, 2016 में ₹1,79,28,829 व्यय किये गये थे, जिसके लिए यदि ऊपर वर्णित खाते में शेष जमा ₹3.13 करोड में से राशि का अस्थाई हस्तांतरण करके उपयोग किया जाता तो माह अगस्त व सितम्बर का पूरा व्यय इसी राशि से वहन किया जा सकता था तथा वर्णित ब्याज आय की हानि रोकी जा सकती थी। लगभग यही स्थिति आगामी माह में भी रही है । इस प्रकार कुशल वित्तीय प्रबन्धन के अभाव में सावधि जमा के अर्न्तगत निवेशित राशियों को अनावश्यक रूप से समय से पूर्व परिपक्व करवाने के कारण ब्याज आय ₹39,37,423 की हानि हुई जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 'घ'** पर दिया गया है । अतः यह मामला बोर्ड प्रबन्धन के विशेष ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है तथा परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की कार्यवाही अमल में लाने से पूर्व बोर्ड के विभिन्न खातों में जमा राशियों को भी ध्यान में रखा जाये ताकि बोर्ड को होने वाली ब्याज आय की हानि से बचाया जा सके ।

### (iii) उच्चतर दर पर राशियों को निवेशित न करने के कारण बोर्ड को ₹10.94 लाख की सम्भावित हानि

निवेश रजिस्टर की जांच पर पाया गया कि बोर्ड द्वारा सामान्य निधि से विभिन्न बैंकों में अलग–2 ब्याज दरों पर राशियां निवेश की गई थी जोकि वित्त विभाग हि0 प्र0 सरकार के पत्र संख्याः फिन–आईएफ (ए)1–3/91–V दिनांक 6.11.2008 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के विपरीत है । इस पत्र द्वारा वित्त विभाग ने 100 प्रतिशत अतिरिक्त निधि (surplus funds) को हि0 प्र0 राज्य सहकारी बैंक/कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक में वित्तीय सूझ–वूझ विशेषतः प्रतियोगी ब्याज दरें प्राप्त करने उपरान्त निवेशित करने की हिदायतें दी थी । यथानुसार बोर्ड प्रशासन को सभी बैंकों से प्रतियोगी ब्याज दरें आमन्त्रित की जानी चाहिए थी तथा जो बैंक अधिक ब्याज दर देने के लिए सहमत होता उसी बैंक में अतिरिक्त निधि का निवेश किया जाना चाहिए था परन्तु वित्त विभाग के उक्त वर्णित दिशा निर्देशों के प्रतिकूल संलग्न **परिशिष्ट 'ङ'** में वर्णित राशियां बिना प्रतियोगी ब्याज दरें प्राप्त किए ही अलग–2 दरों पर निवेशित की गई थी। परिणामस्वरूप उच्चतम ब्याज दर पर निवेश न करने के कारण बोर्ड को लगभग ₹10,93,632 की ब्याज आय की हानि हुई है ।

अतः वर्णित अनियमितता के कारण कम प्राप्त ब्याज ₹10,93,632 को या तो नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त हानि के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए । भविष्य में प्रदेश सरकार के आदेशों की अनुपालना करते हुए उच्चतम ब्याज दरों पर ही अतिरिक्त राशि का निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि बोर्ड की आय में वृद्धि हो सके ।

**(घ) वित्तीय विश्लेषण**

बोर्ड की आय के मुख्य स्त्रोत परीक्षार्थियों से परीक्षा शुल्क की वसूली तथा पुस्तकों का विक्रय तथा व्यय में वेतन भत्तों का भुगतान, परीक्षा संचालन तथा पुस्तकों का मुद्रण इत्यादि मदें शामिल हैं । बोर्ड की वर्ष 2016–17 की आय व व्यय का वर्ष 2015–16 की आय व व्यय से तुलनात्मक वित्तीय विश्लेषण निम्न लिखित है :–

| | **2015–16 (₹)** | **2016–17 (₹)** |
|---|---|---|
| गत शेष | 420301142.90 | 64,13,35,936.15 |
| प्राप्तियां | 810499769.00 | 71,01,65,851.33 |
| **योग** | **1230800911.90** | **1,35,15,01,787.48** |

| | | |
|---|---|---|
| भुगतान | 589464975.75 | 74,04,40,659.00 |
| अन्तिम शेष | 641335936.15 | 61,10,61,128.48 |

**(i)** उपरोक्त विवरण से स्पष्ट विदित होता है कि बोर्ड की वित्तीय स्थिति वर्ष 2016–17 में वित्तीय वर्ष 2015–16 की तुलना में खराब हुई है क्योंकि जहां वित्तीय वर्ष 2016–17 की आय/प्राप्तियों में लगभग ₹10 करोड़ की कमी हुई है वहीं दूसरी ओर व्यय में लगभग ₹15 करोड़ की वृद्धि हुई है। आय में कमी के साथ–2 व्यय में इतनी अधिक बढ़ोतरी होना एक अत्यन्त चिन्तनीय विषय है तथा इस विषय पर तुरन्त सुधारात्मक पग उठाये जाने की आवश्यकता है ताकि व्यय पर नियन्त्रण रखते हुए आय में बढ़ौतरी की जा सके व बोर्ड की वित्तीय स्थिति को सुदढ़ किया जा सके। अतः यह मामला उचित कार्यवाही हेतु बोर्ड के विशेष संज्ञान में लाया जाता है ।

**(ii)** वितीय स्थिति के अनुसार बोर्ड को वर्ष 2016–17 में कुल ₹71,01,65,851.33 की प्राप्तियां हुई जिसके विरूद्व कुल ₹74,04,40,659.00 व्यय किये गये थे। इस प्रकार बोर्ड द्वारा वर्ष की कुल प्राप्तियों की तुलना में ₹3,02,74,807.67 अधिक व्यय किए गए थे जोकि एक गम्भीर चिन्ता का विषय हैं। अतः यह मामला बोर्ड प्रशासन के विशेष ध्यान में लाया जाता है ताकि बोर्ड की आय को बढाने तथा व्यय पर अंकुश लगाने हेतु अविलम्ब प्रभावी कदम उठाये जायें जिससे बोर्ड की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनी रहे।

**(iii)** बोर्ड को वर्ष 2016–17 के दौरान ₹187773311 परीक्षा शुल्क के रूप में प्राप्त हुई जो कि कुल आय का 26 प्रतिशत थी। गत वर्ष 2015–16 में इस शीर्ष के अर्न्तगत ₹215784927 का शुल्क प्राप्त हुआ था। इस प्रकार वर्तमान वर्ष में इस शीर्ष के अर्न्तगत गत वर्ष की तुलना में ₹28011616 का कम शुल्क प्राप्त हुआ है।

**(iv)** वर्ष 2016–17 के दौरान बोर्ड ने पुस्तक विक्रय से ₹30,44,34,033.55 प्राप्त की जो कुल आय/प्राप्तियों का लगभग 43 प्रतिशत थी जबकि गत वर्ष 2015–16 में इस शीर्ष के अर्न्तगत ₹31,12,91,223 की प्राप्ति हुई थी जोकि कुल प्राप्तियों की लगभग 38% थी। इस प्रकार वर्तमान वर्ष में इस शीर्ष के अर्न्तगत गत वर्ष की तुलना में ₹68,57,189.45 की आय कम प्राप्त हई है।

**(v)** बोर्ड द्वारा वर्ष 2016–17 के दौरान कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन व भत्तों पर कुल ₹205346994 खर्च किए हैं जो कुल व्यय व प्राप्तियों का क्रमशः 28% व 29% है जबकि गत वर्ष 2015–16 के दौरान इस मद पर कुल खर्च ₹183005346 किया गया था

जोकि कुल व्यय व प्राप्तियों का क्रमशः 31% व 22% था। इस प्रकार इस मद के अर्न्तगत गत वर्ष की अपेक्षा ₹22341648 अधिक व्यय किए गए हैं ।

**(vi)** बोर्ड द्वारा वर्ष 2016–17 के दौरान कर्मचारियों/अधिकारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान पर कुल ₹16,69,839 खर्च किए हैं जो कुल व्यय व प्राप्तियों का क्रमशः **22%** व **23%** है जबकि वर्ष 2015–16 के दौरान इस मद पर कुल ₹12,38,077 खर्च किया गया था। इस प्रकार इस मद पर गत वर्ष की अपेक्षा ₹4,31,762 अधिक व्यय किए गए है।

**(vii)** वर्ष 2015–16 के दौरान यात्रा भत्ता बिलों की अदायगी पर बोर्ड ने ₹2010852 व्यय किए थे जबकि वर्ष 2016–17 में यह खर्चा ₹2061611 हुआ है, परिणामस्वरूप वर्तमान वर्ष 2016–17 में उपरोक्त मद पर ₹50759 अधिक व्यय किए गए हैं।

**(viii)** बोर्ड द्वारा वर्ष 2015–16 में कार्यालय व्यय पर ₹16022373 खर्च किए गए थे जबकि वर्तमान वर्ष 2016–17 में ₹22099056 व्यय किए गए है परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपरोक्त मद पर ₹6076683 अधिक व्यय किए गए है।

**(ix)** अंकेक्षणाधीन वर्ष 2016–17 के दौरान बोर्ड ने परीक्षा संचालन पर कुल ₹37,38,98,238 खर्च किए थे जबकि परीक्षा शीर्ष के अर्न्तगत प्राप्त आय ₹32,64,61,400.60 थी। इस प्रकार बोर्ड को इस मद के अन्तर्गत प्राप्त शुल्क की अपेक्षा अधिक व्यय करने के कारण ₹4,74,36,837.40 की क्षति उठानी पड़ी। चूंकि बोर्ड एक स्वतः पोषक संस्था है तथा एक शीर्ष के अर्न्तगत प्राप्त आय की अपेक्षा इतना अधिक व्यय किया जाना एक चिन्तनीय विषय है। अतः परामर्श दिया जाता है कि एक उच्चस्तरीय समिति बनाकर अधिक किए गए व्यय के कारणों का पता लगाया जाए तथा तदानुसार भविष्य में इस प्रकार के अधिक व्यय पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कदम उठाए जाने सुनिश्चित किए जाएं ताकि बोर्ड की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ बनी रहे।

**(x)** वर्ष 2015–16 में बिजली पानी पर किया गया खर्च ₹3896028 था जबकि वर्ष 2016–17 में यह व्यय बढ़कर ₹3912567 हो गया है ।

**(xi)** इस मद पर वर्ष 2015–16 का व्यय ₹70680 था जबकि वर्ष 2016–17 के दौरान केवल ₹5960 व्यय किया गया है ।

**(xii)** बोर्ड ने इस मद पर वर्ष 2015–16 में ₹2529152 व्यय किए थे जबकि वर्तमान वर्ष 2016–17 में ₹1927157 खर्च किए गए है।

**(xiii)** इस मद पर वर्तमान वर्ष के दौरान ₹974020 व्यय किए गए है जबकि गत वर्ष 2015–16 में ₹1707961 व्यय किए थे ।

**(xiv)** वर्ष 2015–16 में स्टेशनरी/बाईडींग पर किया गया व्यय ₹1341313 था जबकि वर्ष 2016–17 में यह खर्चा बढ़कर ₹1472555 हो गया है ।

**(xv)** वर्ष 2015–16 के दौरान गोपनीय निधि को ₹42500000 सामान्य निधि से हस्तांतरित किए थे जबकि वर्तमान वर्ष 2016–17 में ₹32015000 उक्त निधि को हस्तांतरित किए गए हैं।

**(xvi)** वर्ष 2016–17 के दौरान बोर्ड ने पुस्तकों की विक्री से ₹30,44,34,033.55 प्राप्त किए तथा पुस्तकों के मुद्रण पर कुल ₹204852933 खर्च किए गए इस प्रकार गत वर्ष 2015–16 की की तुलना में आय ₹68,57,189.45 कम प्राप्त हुई तथा व्यय ₹1,11,34,4988 अधिक किया गया था ।

**(xvii)** आय शीर्ष 101 (7) के अन्तर्गत ₹49,73,202 को अवर्गीकृत आय के रूप में दर्शाया गया है जिसके कारणों से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं करवाया गया है। अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कारणों को स्पष्ट करते हुए वर्णित आय की राशि का लेखों में उचित शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकरण करके समाधान सुनिश्चित किया जाए।

## 5 पैंशन निधि

**(क)** वित्तीय वर्ष 2016–17 के लेखों पर आधारित पैंशन निधि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है':–

| विवरण | राशि (₹) |
|---|---|
| गत शेष | 37,19,93,620,00 |
| प्राप्तियां | 10,24,18,870.00 |
| **कुल योग** | **47,44,12,490.00** |
| भुगतान | 12,00,05,368.00 |
| अन्तिम शेष | 35,44,07,122.00 |
| दिनांक 31.3.17 को बैंक में अन्तिम शेष का विवरण | **35,44,07,122.00** |
| (ख) (i) बैंक खाता का शेष | 27,00,914.00 |
| (ii) निवेशित राशियॉ | 35,17,06,208.00 |
| **कुल योग** | **35,44,07,122.00** |

पैंशन निधि में से दिनांक 31.3.17 तक सावधि जमा में निवेश राशियों का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "च"** में दिया गया है।

**(ग)** वर्ष 2015–16 व 2016–17 के दौरान पैंशन निधि में प्राप्त राशियों व व्यय का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार से है :–

| विवरण | वित्तीय वर्ष 2015–16 (₹) | वित्तीय वर्ष 2016–17 (₹) |
|---|---|---|
| प्राप्तियां | 81113488 | 102418870 |
| व्यय | 96398284 | 120005368 |

वर्ष 2015–16 के दौरान गोपनीय निधि को ₹42500000 सामान्य निधि से हस्तांतरित किए थे जबकि वर्तमान वर्ष 2016–17 में ₹32015000 उक्त निधि को हस्तांतरित किए गए हैं।

**(घ) पैन्शन निधि व ग्रैच्युटी निधि में प्रदेश सरकार की अनुमति बिना सामान्य निधि से ₹33.28 करोड़ हस्तांतरित करना**

बोर्ड द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये दिनांक 1.1.2005 सें पैन्शन योजना स्व–वित्त पोषक योजना के रूप में लागू की गई तथा जिसके संचालन हेतु एक ट्रस्ट का गठन किया गया जिसकी देनदारियों के निपटारे हेतु बोर्ड निधि से पात्र कर्मचारियों के मूल वेतन व मंहगाई भत्ते के 15 प्रतिशत भाग के बराबर अंशदान पैन्शन निधि को व उनके अधिकतम वेतनमान के 7.5 प्रतिशत भाग के बराबर अंशदान ग्रैच्युटी निधि में जमा करने का प्रावधान रखा गया तथा तदानुसार समय–समय पर राशियां पैन्शन निधि में हस्तांतरित/जमा की गई, परन्तु समय–समय पर सेवा निवृत कर्मचारियों की संख्या व उनकी देनदारियों में बढ़ौतरी तथा वर्ष 2003 से अंशदायी पैंशन योजना लागू करने के कारण पुरानी पैन्शन योजना में अंशदान करने हेतु कर्मचारियों की संख्या में कटौती होने के कारण पैन्शन निधि व ग्रैच्युटी निधि को प्रति माह अंशदान के रूप में हस्तांतरित की जाने वाली राशि व मासिक देनदारियों में अन्तर आने लगा जिसको पूरा करने के लिए बोर्ड द्वारा सामान्य निधि से प्रतिवर्ष अतिरिक्त अंशदान के रूप में वर्णित अन्तर की राशि को पैन्शन निधि में स्थानान्तरित किया जाने लगा तथा इसी क्रम में बोर्ड द्वारा विहित वर्ष 2016–17 में पैन्शन/ग्रैच्युटी निधि के अन्तर की प्रतिपूर्ति करने हेतु कुल ₹6,23,07,372 व ₹1,26,32,401 की बिल राशि बोर्ड निधि से पैन्शन/ग्रैच्युटी निधि में हस्तांतरित की गई ।

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस संदर्भ में वर्ष 2011 में पत्र सं0 फिन0/आई0एफ/(सी)–ए(4)– 11/99–11 दिनांक 31.03.2011 द्वारा केवल एक बार (Onetime) राशि हस्तांतरित करने की अनुमति इस निर्देश के साथ प्रदान की गई थी कि,

(i) Such Arrangement should be avoided in future.

(ii)The Board shall transfer any surplus first to the state Govt. account.

(iii)The Board will make necessary change in rules.

सचिव, शिक्षा बोर्ड ने अपने पत्र सं0 HB(1) Estt.GF-12(Vol-23)/2014-19081 दिनांक 23.07.2014 द्वारा प्रधान सचिव, शिक्षा हि0 प्र0 सरकार से पुनः ऊपर वर्णित निर्णय की समीक्षा व भविष्य में बोर्ड निधि से पैन्शन/ग्रच्युटी निधि को राशि हस्तांतरित करने हेतु बोर्ड बजट में प्रावधान रखने के साथ–साथ राशि हस्तांतरित करने की भी प्रदेश सरकार से अनुमति मांगी गई थी तथा वर्णित अन्तर राशि के बिल भी अंकेक्षण से इस आश्वासन के साथ पारित करवायें जा रहें हैं कि प्रदेश सरकार से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर इन्हें नियमित करवा लिया जायेगा तथा इसी आश्वासन के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा अब तक ₹28,94,37,287 पैंशन निधि को व ₹4,33,90,271 ग्रैच्युटी निधि को बोर्ड निधि से निर्धारित अंशदान के अतिरिक्त हस्तांतरित किये जा चुके हैं। अंकेक्षण द्वारा इस संदर्भ में प्रत्येक वर्ष के अंकेक्षण प्रतिवेदन में लगातार अलग से आपत्ति (ऑडिट पैरा) लगाई गई है जिसमें बोर्ड प्रशासन को उक्त हस्तांतरित राशि को हिमाचल प्रदेश सरकार से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाने हेतु कहा गया है।

जैसा ऊपर वर्णित पैरा 10 में स्पष्ट किया गया है कि हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1968 की धारा 14(सी) के अनुसार स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रत्येक वर्ष के अन्त में वार्षिक शुद्व बचत की राशि हि0 प्र0 सरकार के पास शिक्षा के सुधार हेतू जमा करवाई जानी अपेक्षित है तथा इस प्रकार बोर्ड की वार्षिक शुद्व बचत में से ₹332827558 की जो राशि पैंशन/ग्रैच्युटी फण्ड में हस्तांतरित की गई है वह राशि वास्तविकता में अ

प्रत्यक्ष रूप से प्रदेश सरकार से सम्बन्धित है जिसे उक्त वर्णित नियमानुसार स्कूल शिक्षा के सुधार पर उपयोग किया जाना अपेक्षित है परन्तु इस प्रकरण में प्रदेश सरकार की अनुमति के बिना उपरोक्त दिशा निर्देशों के विरूद्ध शुद्ध बचत राशि को पैन्शन/ग्रेच्युटी निधि में हस्तांतरित करके उपयोग किया गया जो एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है । अतः वर्णित अनियमितता को प्रदेश सरकार से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके, नियमित करवाया जाए अन्यथा पैंशन/ग्रेच्युटी निधि में बिना सरकार की अनुमति से अतिरिक्त अंशदान के

रूप में जमा करवाई गई राशि को सम्बन्धित निधि से आहरित कर बोर्ड की सामान्य निधि में वापिस जमा करवाया जाए व कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए ।

उपरोक्त के अतिरिक्त पैंशन निधि से भविष्य में सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों की देनदारियों की अदायगी का आंकलन जो बोर्ड प्रशासन द्वारा वर्ष 2015 से वर्ष 2030 तक की देनदारियों को ध्यान में रखकर एक Chartered Accountant से करवाया गया था, के निष्कर्षानुसार वर्ष 2018–19 से पैंशन निधि में घाटा पड़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि इस फण्ड में अंशदान देने वाले कर्मचारियों की संख्या सेवा निवृति के कारण निरंतर कम होती जाएगी जिसके फलस्वरूप लगभग ₹50 लाख का अंशदान/प्राप्तियां प्रत्येक वर्ष कम होती जायेगी व तुलना में पैंशन धारकों की संख्या बढ़ने के कारण liability हमेशा बढ़ती ही जाएगी और अन्ततः पैंशन निधि की जीवनक्षमय (viability) पर संकट उत्पन्न होना निश्चित है। इस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2015–16 के पैरा संख्या 6.2 में भी आपत्ति उठाई गई थी तथा परामर्श दिया गया था कि इस समस्या के स्थाई समाधान हेतू प्रदेश सरकार की सहमति से एक ठोस निति बनाई जाए परन्तु बोर्ड प्रशासन द्वारा इस सन्दर्भ में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई बल्कि इसके विपरीत, प्रदेश सरकार की अनुमति बिना ऊपर पैरे में वर्णित राशियां पैन्शन/ग्रेच्युटी निधि को हस्तांतरित की जा रही है । अतः पुनः परामर्श दिया जाता है कि इस विषय के स्थाई समाधान हेतु एक उच्चस्तरीय समिति बनाकर व प्रदेश सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर एक स्थाई निति बनाई जाए ताकि इस समस्या का एक स्थाई समाधान सम्भव हो सके ।

## 6 उपदान निधि

वित्तीय वर्ष 2016–17 के लेखों पर आधारित उपरोक्त निधि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है :–

| **विवरण** | **राशि (₹)** |
|---|---:|
| गत शेष | 29,70,558 |
| प्राप्तियां | 2,24,33,571 |
| **कुल योग** | **2,54,04,129** |
| भुगतान | 2,32,80,422 |
| अन्तिम शेष | 21,23,707 |

बैंक खाता में दिनांक 31.3.17 को शेष 21,23,707

7 **सामान्य भविष्य निधि**

**(क)** सामान्य भविष्य निधि की वर्ष 2016–2017 की वित्तीय स्थिति उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार निम्न प्रकार से हैः–

| विवरण | राशि (₹) |
|---|---|
| गत शेष | 14,50,91,241,24 |
| प्राप्तियां | 5,62,02,777,56 |
| **योग** | **20,12,94,018,80** |
| भुगतान | 7,55,86,499,00 |
| अन्तिम शेष | 12,57,07,519,80 |
| (i) बैंक खाता का दिनांक 31.3.2017 को शेष | 19,26,289,80 |
| (ii) दिनांक 31.3.2017 को भविष्य निधि में से सावधि जमा में निवेशित राशियां **(परिशिष्ट'छ')** | **12,37,81,230.00** |
| अन्तिम शेष (i व ii) | 12,57,07,519.80 |

**(ख)** सामान्य भविष्य निधि में से विभिन्न बैंकों में सावधि जमा में निवेश की गई राशियों का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट 'छ'** में दिया गया है

**(ग) सामान्य भविष्य निधि बैंक खाते में जमा राशि व खाताधारकों के खातों में शेष जमा दर्शाई जा रही राशि (देनदारी) में लगभग ₹745.34 लाख का अन्तर पाया जाना**

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार वित्तीय वर्ष 2016–2017 के अन्त में सामान्य भविष्य निधि खातों के अनुसार कुल देनदारी ₹20,02,41,902 थी जबकि 31.3. 2017 को बैंकों में केवल ₹12,57,07,519.80 शेष जमा थ

` जो कि कुल देनदारियों से ₹7,45,34,382.20 से कम है। इस अन्तर का मुख्य कारण विभिन्न खाताधारकों को उनके खातों में जमा राशियों पर दिये जानें वाला ब्याज है क्योंकि वोर्ड द्वारा अपने सामान्य भविष्य निधि खाताधारकों को भी उसी दर पर ब्याज दिया जाता है जिस दर से समय समय पर प्रदेश सरकार द्वारा अपने सामान्य भविष्य निधि खाताधारकों को ब्याज का भुगतान किया जाता है जबकि सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा राशियों को बोर्ड द्वारा विभिन्न बैंकों की सावधि जमा योजना व सामान्य बचत खातों में

निवेश कर रखा है जिन पर अर्जित व्याज, प्रदत्त व्याज से अत्याधिक कम है, परिणाम स्वरूप सा0भ0नि0 से निवेशित राशियों पर अर्जित ब्याज व खाताधारकों को जमा राशियों पर दिये जा रहे ब्याज में अत्यधिक अन्तर पाया गया है। अगर इसी प्रक्रिया को जारी रहने दिया जाता है तो शीघ्र ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी कि बोर्ड के पास सा0भ0नि0 की देनदारियों के भुगतान के लिए बैंक खातों में कोई राशि शेष जमा नहीं होगी और तब विकट परिस्थितियों में बोर्ड के सामान्य खाते से सा0भ0नि0 की देनदारी का भुगतान करना पड़ेगा जो कि नियमानुसार प्रदेश सरकार से स्वीकृति के बिना देय नहीं होगा। अतः इस निधि में बढ़ रही देनदारी को संतुलित करने की आवश्यकता है जिसके लिए अविलम्ब नितिगत निर्णय लेते हुए उचित नियम बनाए जाने सुनिश्चित किए जाएं ताकि भविष्य में उत्पन्न होने वाली उक्त वर्णित विकट परिस्थिति का समय रहते एक स्थाई समाधान सम्भव हो सके।

## 8 अध्यापक कल्याण निधि

**(क)** वित्तीय वर्ष 2016–17 के लेखों पर आधारित अध्यापक कल्याण निधि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

| **विवरण** | **राशि (₹)** |
|---|---|
| गत शेष | 1,54,99,784.00 |
| प्राप्तियां | 21,37,239.00 |
| **कुल योग** | **1,76,37,023.00** |
| भुगतान | 47,820.00 |
| अन्तिम शेष | 1,75,89,203.00 |
| **दिनांक 31.3.17 को बैंक व निवेशों की राशि का विवरण** | |
| **निवेशित राशि** | **1,56,53,691.00** |
| बैंक खाता में राशि | 47,512.00 |
| **उक्त खाते में मोड राशि** | **18,88,000.00** |
| **योग** | **1,75,89,203.00** |

**(ख) अध्यापक कल्याण निधि से किए गए निवेशों का विवरण निम्नलिखित हैः–**

| **क्र0 सं0** | **एफ0डी0 आर0 नं0** | **निवेशित राशि (₹)** | **परिपक्वता तिथि** | **परिपक्वता राशि (₹)** | **बैंक का नाम** |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35765646206 | 1289026 | 11.8.17 | 1414418 | एस.बी.आई.धर्मशाला |
| 2. | 35796191974 | 2787274 | 26.8.17 | 3058411 | –यथोपरि– धर्मशाला |
| 3. | 35834498032 | 170602 | 13.9.17 | 187158 | एसबीआई धर्मशाला |
| 4. | 35840217054 | 1418237 | 15.9.17 | 1556199 | –यथोपरि– |
| 5. | 65170594153 | 4327926 | 25.6.17 | 4664968 | एसबीपी धर्मशाला |
| 6. | 34057229498 | 3146359 | 20.8.17 | 3380747 | एसबीआई धर्मशाला |
| 7. | 36047591231 | 2514267 | 22.8.17 | 2758847 | –यथोपरि– |

**(ग)** इस निधि में से वर्ष 2016–17 में केवल मात्र ₹47820 ही व्यय किए गए थे जबकि दिनांक 31.3.2017 को ₹1,75,89,203 निधि खाते में अनपुयोग शेष जमा थे। इस निधि को अध्यापक एवम् बोर्ड कल्याणार्थ व्यय न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा नियमानुसार निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति हेतु निधि का निरन्तर उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

## 9 गोपनीय निधि

सचिव द्वारा दिये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 31.3.17 को ₹64,711.25 निधि मे अनपुयोग शेष थे, जिसे वार्षिक लेखा में अन्तिम शेष के रूप में सम्मिलित किया गया है ।

## 10 अनुदान

अंकेक्षण में प्रस्तुत विवरणानुसार बोर्ड द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि में किसी भी संस्था से कोई भी अनुदान प्राप्त नहीं किया गया है ।

## 11 ऋण

वर्ष 2016–17 के दौरान स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा कोई ऋण नहीं लिया गया है और न ही कोई ऋण लौटाया जाना शेष है ।

## 12 वर्ष 2016–17 में विलम्ब शुल्क ₹6.03 लाख की प्राप्ति न करना

विलम्ब शुल्क के रूप में वर्ष 2016–17 में ₹6,02,749.00 देय थी तथा प्रत्येक वर्ष के अन्त में इस प्रकार की राशि वसूली हेतु लम्बित रह जाती है जोकि गत वर्ष 2015–16 में ₹7,65,436.00 थी। वर्षों से लम्बित पड़ी इन राशियों में से 31.3.2017 तक वर्षवार कितनी राशि छात्रों से वसूल की गई है की सूचना अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाई गई। इसके

अतिरिक्त इन लम्बित राशियों के निपटारे हेतु बोर्ड प्रशासन द्वारा उठाए गये कदमों से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख वार्षिक लेखाओं की गणना के साथ प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः परामर्श दिया जाता है कि इन राशियों की वसूली हेतु उचित व प्रभावी कदम उठाऐ जाऐ तथा गत् वर्षो से वसूली हेतु लम्बित राशि का व्यौरा भी वर्ष वार तैयार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 13 स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा हि0 प्र0 सरकार के पास शिक्षा के सुधार हेतू किसी भी राशि का जमा न करवाया जाना

हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1968 की धारा 14(सी) के अनुसार स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रत्येक वर्ष के अन्त में वार्षिक शुद्व बचत की राशि हि0 प्र0 सरकार के पास शिक्षा के सुधार हेतू जमा करवाई जानी आपेक्षित है परन्तु बोर्ड द्वारा गत 10 वर्षों से इस मद के अन्तर्गत प्रदेश सरकार के पास कोई भी राशि जमा नहीं करवाई गई है जबकि बोर्ड के पास प्रत्येक वर्ष करोड़ों रूपये की राशि अन्त शेष के रूप में जमा पड़ी थी जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

| क्रम संख्या | वित्तीय वर्ष | वर्ष के अन्त में शेष जमा राशि (₹) |
|---|---|---|
| 1. | 2007–08 | 200106413.53 |
| 2. | 2008–09 | 289607035.69 |
| 3. | 2009–10 | 228089122.06 |
| 4. | 2010–11 | 271991428.19 |
| 5. | 2011–12 | 336961428.19 |
| 6 | 2012–13 | 391893407.99 |
| 7. | 2013.14 | 451774035.09 |
| 8. | 2014–15 | 420301142.90 |
| 9. | 2015–16 | 641335936.15 |
| 10. | 2016–17 | 611061128.48 |

उक्त वर्णित नियमों की अनुपालना में प्रदेश में शिक्षा के सुधार हेतु अपेक्षित अंशदान न देने के कारण शिक्षा बोर्ड अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करने में विफल रहा है जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। इससे स्पष्ट विदित होता है कि शिक्षा बोर्ड ने अपने कर्तव्यों को केवल परीक्षा संचालन व मुल्यांकन तक ही सीमित कर दिया है जबकि बोर्ड प्रतिवर्ष करोड़ों रूपये विद्यार्थियों/अभिभावकों/जनता से विभिन्न उद्वेश्यों के लिए प्राप्त करता है तथा लाभ कमा रहा है व एक व्यापारिक संस्था की ओर अग्रसर होकर आयकर का भुगतान भी करने

लगा है । इस प्रकार की आपत्ति गत प्रत्येक अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी उठाई गई है परन्तु इसके बावजूद भी उक्त नियमानुसार अपेक्षित कार्यवही अमल में न लाना एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः यह मामला प्रदेश सरकार व बोर्ड प्रशासन के विशेष ध्यान में लाया जाता है ताकि भविष्य में अधिनियम की अनुपालना सुनिश्चित करते हुऐ प्रदेश में शिक्षा के सुधार हेतु राशि का हस्तांतरण किया जाए।

## 14 शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त अग्रिम ₹2134.74 लाख का समायोजन न करना

स्कूल शिक्षा बोर्ड की विक्रय शाखा द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार 31.3.2017 तक शिक्षा विभाग से निम्न विवरणानुसार ₹21,34,74,271 (₹82427639+ ₹131046632) की अग्रिम राशि प्राप्त हुई है जिसका अभी तक समायोजन नहीं किया गया है। अतः वर्णित राशि का समायोजन भविष्य में शिक्षा विभाग को बिक्री की जाने वाली पुस्तकों के विरूद्व किया जाना सुनिश्चित किया जाएः–

| क्रमांक | विवरण | अग्रिम राशि (₹) | |
|---|---|---|---|
| | | उच्चतर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय | प्रारम्भिक / प्राथमिक शिक्षा निदेशालय |
| 1. | गत शेष {बसूली योग्य राशि (+)/प्राप्त अग्रिम राशि(–)} | शून्य | (–)153030850.00 |
| 2. | वर्ष 2016–17 के दौरान उधार विक्री | 96927639.00 | 185341618.00 |
| 3. | कुल (2–1) | 96927639.00 | 32310768.00 |
| 4. | छूट (Discount) | – | 16273400.00 |
| 5. | वर्ष 2016–17 में शुद्व बसूली योग्य राशि (3–4) | 96927639.00 | 16037368.00 |
| 6. | वर्ष 2016–17 में बसूल की गई राशि | 14500000.00 | 147084000.00 |
| 7. | अन्तिम शेष (बसूली योग्य राशि (+)/प्राप्त अग्रिम राशि(–) | (–)82427639.00 | (–)131046632.00 |

## 15 हिमाचल प्रदेश सरकार को पुस्तकों की बिक्री, अधिकतम परचून मूल्य पर करना

शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रति वर्ष बोर्ड से कक्षा प्रथम से दसवीं तक विभिन्न श्रेणियों के विद्यार्थियों के लिए एम.आर.पी. पर पुस्तकों का क्रय करके छात्रों को निशुल्क दी जाती है जबकि बोर्ड को वर्णित पुस्तकों को उत्पादन करने की लागत काफी

कम बैठती है। एक ओर, बोर्ड द्वारा अधिनियम, 1968 की धारा 14(2) के अनुपालना में अपनी वार्षिक शुद्व बचत राशि शिक्षा विभाग, हि0 प्र0 को स्कूली शिक्षा के सुधार हेतु नहीं भेजी जा रही है वहीं दूसरी ओर पुस्तकें भी शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को अधिकतम परचून मूल्य पर ही विक्रय की जा रही है जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार को पुस्तके उत्पादन लागत जमा निर्धारित लाभ पर ही विक्रय की जानी चाहिए थी । इस सम्बन्ध में वर्ष 2010–11 की अंकेक्षण रिपोर्ट के पैरा संख्याः 23 द्वारा तथा तदोपरान्त जारी अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी लगातार आपत्ति उठाई जा रही है लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति यथावत जारी है । बोर्ड द्वारा वर्ष 2016–17 में शिक्षा विभाग हि0 प्र0 को बिक्री की गई पुस्तकों की सूचना अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई है, परिणामस्वरूप उत्पादन लागत से अधिक प्रभारित राशि का आंकलन अंकेक्षण में सम्भव नहीं हो सका। अतः परामर्श दिया जाता है कि सरकार को विकी की जाने वाली पुस्तकों को उत्पादन लागत व औचित्य पूर्ण लाभांश पर बिकी किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

## 16 हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों के अंकेक्षण से सम्बन्धित मुख्य अनियमितताएं

**(क)** हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित निम्नलिखित पुस्तक वितरण केन्द्रों के लेखों का अंकेक्षण वर्ष 2016–17 के दौरान निम्न अवधि के लिए किया गयाः–

| क्रमांक | पुस्तक वितरण केन्द्र का नाम | अंकेक्षण की अवधि |
|---|---|---|
| 1. | चौंतड़ा | 4/2014 से 3/2016 |
| 2. | रोहडू | 4/2011 से 3/2016 |
| 3. | रिकांगपिओ | 4/2015 से 3/2016 |
| 4. | कुल्लू | 4/2016 से 3/2017 |
| 5. | मण्डी | 4/2015 से 3/2016 |
| 6. | राजगढ़ | 4/2015 से 3/2016 |
| 7. | पपरोला | 4/2015 से 3/2016 |
| 8. | चम्बा | 4/2011 से 3/2016 |
| 9. | नगरोटा बगवां | 4/2015 से 3/2016 |
| 10. | जसूर | 4/2015 से 3/2017 |
| 11. | ऊना | 4/2014 से 3/2016 |
| 12. | शिमला | 4/2011 से 3/2016 |

इन पुस्तक वितरण केन्द्रों के अंकेक्षण के दौरान पाई गई मुख्य अनियमितताओं का विवरण अनुवर्ती पैरों में दिया गया है :–

## (ख) स्टॉक में ₹0.49 लाख के मूल्य की पुस्तकें व फार्मों का कम पाया जाना

अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न पुस्तक वितरण केन्द्रों के स्टॉक रजिस्टरों की जांच करने पर निम्न विवरणानुसार ₹49487 की पुस्तकें व फार्म स्टॉक रजिस्टरों में कम पाए गएः–

**(i)** रजिस्टरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि प्रत्यक्ष सत्यापन कमेटी द्वारा पुस्तक वितरण केन्द्रों के स्टॉक में निम्नविवरणानुसार ₹29162 के मूल्य की पुस्तकें कम पाई गई परन्तु इन पुस्तकों की कीमत की वसूली सम्बन्धित प्रभारी से कर ली गई है अथवा नहीं, से सम्बन्धित अभिलेख ऑडिट के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए । अतः वर्णित राशि की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करने हेतु उचित कदम उठाऐं जाऐं तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

| क0 सं0 | वितरण केन्द्र का नाम | अंकेक्षण अवधि | पैरा सं0 | राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | शिमला | 3/11 से 4/16 | 4 | 1542.00 |
| 2. | चम्बा | –यथोपरि– | 8 | 27620.00 |
| | | | **योग** | **₹29162.00** |

**(ii)** उपरोक्त के अतिरिक्त प्रत्यक्ष सत्यापन समिति द्वारा निम्न वर्णित पुस्तक केन्द्रों के स्टॉक रजिस्टरों में पुस्तकों की गणना करने पर ₹20325 की पुस्तकें कम पाई गई, जिसका संज्ञान अंकेक्षण द्वारा पहले ही इन पुस्तक वितरण केन्द्रों को जारी अंकेक्षण प्रतिवेदन में किया जा चुका था परन्तु इस सन्दर्भ में अभी तक कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः कम पाई गई पुस्तकों की राशि की बसूली उचित स्त्रोत से करने हेतु उचित कदम उठाए जाने सुनिश्चित किए जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

| क0सं0 | वितरण केन्द्र का नाम | अंकेक्षण अवधि | पैरा संख्या | राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | रोहडू | 4/11 से 3/16 | 5 | 455.00 |
| 2. | शिमला | –यथो0–– | 5 | 2495.00 |
| 3. | चम्बा | ––यथो0–– | 13 | 14175.00 |
| 4. | कुल्लू | 3/16 से 4/17 | 7 | 3200.00 |

योग ₹20325.00

**(ग) पुस्तक वितरण केन्द्र शिमला में विभिन्न प्रिंटर्ज व पुस्तक वितरण केन्द्रों से ₹8491 मूल्य की प्राप्त पुस्तकों/फार्मों इत्यादि का सम्भावित दुर्विनियोजन**

अभिलेख की जांच में पाया गया कि पुस्तक वितरण केन्द्र शिमला द्वारा पुस्तकों व फार्मो इत्यादि को विभिन्न प्रिन्टर्ज व अन्य पुस्तक वितरण केन्द्रों से प्राप्त करने उपरान्त, इन्हें स्टाक रजिस्टर में प्राप्ति रसीद में दर्शाई मात्रा से, कम मात्रा में इन्द्राज किया गया है जिसके कारण पुस्तकों का दुरूपयोग किया गया प्रतीत होता है जिनका कुल ₹8491 बनता है जिसका पूर्ण विवरण पुस्तक वितरण केन्द्र शिमला के अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.2011 से 31.3.16 के पैरा 6 में दिया गया है। अतः ₹8491 मूल्य की पुस्तकों का स्टॉक रजिस्टर में कम गणना करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इसकी कीमत की वसूली उपरान्त लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए ।

**(घ) विभिन्न पुस्तक केन्द्रों द्वारा बेची गई पुस्तकों के गलत रेट लगाने व गलत गणना के कारण ₹8708 की वित्तीय हानि**

बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्दों के वित्तीय वर्ष 2016–17 के कैश मैमों की जांच में पाया गया कि कैश मैमों में दर्शाई गई विभिन्न पुस्तकों के रेट व कुल योग की गलत गणना करने के कारण निम्न विवरणानुसार ₹8708 की कम वसूली की गई / बैंकों में कम जमा करवाये गए थे।

| क्रमांक | पुस्तक वितरण केन्द्र का नाम | कैशमैमों बिल नं. व दिनांक | कैश मैमों का योग (₹) | अंकेक्षण द्वारा किया योग (₹) | अन्तर (जो राशि कम जमा करवाई गई) (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | पुस्तक वितरण केन्द्र सोलन | 32712/24.5.16 | 6660 | 6705 | 45 |
| 2 | –यथोपरि– शिमला | 32847/17.5.16 | 2970 | 3330 | 360 |
| 3 | –यथोपरि– शिमला | 32348/24.5.16 | 4163 | 4207 | 44 |
| 4. | –यथोपरि– रामपुर | 5365/2.5.16 | 9000 | 10100 | 90 |
| 5. | –यथोपरि– शिमला | 34853/24.8.16 | 446 | 468 | 22 |
| 6. | –यथोपरि– चम्बा | 31275/22.6.17 | 6651 | 6808 | 157 |
| 7. | –यथोपरि– चम्बा | 31274/14.6.16 | 10287 | 10379 | 92 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | –यथोपरि– बिलासपुर | 30336 / 24.10.16 | 3312 | 3348 | 36 |
| 9. | –यथोपरि– कुल्लू | 8094 / 24.10.16 | 12569 | 13526 | 957 |
| 10. | –यथोपरि– कुल्लू | 1142 / 24.10.16 | 22112 | 22987 | 875 |
| 11. | –यथोपरि– धुमारवीं | 30806 / 24.10.16 | 6449 | 6529 | 80 |
| 12. | –यथोपरि– नाहन | 33092 / 31.3.17 | 13721 | 15097 | 1376 |
| 13. | –यथोपरि– पपरोला | 34764 / 16.3.17 | 12978 | 13068 | 90 |
| 14. | –यथोपरि– धर्मशाला | 31842 / 18.4.16 | 31930 | 32814 | 884 |
| 15. | –यथोपरि– धर्मशाला | 31844 / 18.4.16 | 36900 | 40500 | 3600 |
| | | | | **कुल योग** | **8708** |

अतः कम जमा करवाई गई राशि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके बोर्ड निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए ।

**(ङ) विभिन्न पुस्तक वितरण केन्द्रों के बचत खातों में ₹2.72 लाख की अधिक जमा राशि का स्त्रोत स्पष्ट न करना**

अभिलेख की जांच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न पुस्तक वितरण केन्द्रों द्वारा कैश मैमों अनुसार बसूल की गई राशि से अधिक राशि सम्बन्धित बैंक खाते में जमा करवाई गई थी जिसके स्त्रोत के सन्दर्भ में अंकेक्षण को कुछ स्पष्ट नहीं किया गया। अतः ₹272083 की अधिक जमा राशि के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा तदानुसार अंकेक्षण में इसकी सत्यापना करवाई जानी सुनिश्चित की जाएः–

| क्रमांक | नाम डिपो | माह | कैश मैमों अनुसार राशि (₹) | बैंक में जमा राशि (₹) | बैंक में अधिक जमा राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बिलासपुर | मार्च, 17 | 1025720 | 1026064 | 344 |
| 2. | चम्बा | –यथो0– | 923312 | 1096310 | 172998 |
| 3. | ज्वालामुखी | –यथो0– | 438210 | 440195 | 1985 |
| 4. | नाहन | जून, 16 | 36752 | 38804 | 2052 |
| 5. | रिकांगपिओ | मार्च, 2017 | 133524 | 138527 | 5003 |
| 6. | सोलन | दिसम्बर,16 | 484110 | 485865 | 1755 |
| 7. | कुल्लू | मार्च, 2017 | 1308644 | 1396590 | 87946 |
| | | | | **कुल योग** | **₹272083** |

## (च) पुस्तक विक्रेताओं के पंजीकरण नम्बर से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना

अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि बोर्ड से पंजीकृत पुस्तक विक्रेताओं के पंजीकरण नम्बर से सम्बन्धित अभिलेख पुस्तक वितरण केन्द्रों में उपलब्ध नहीं था जबकि पंजीकृत पुस्तक विक्रेताओं को बोर्ड द्वारा पुस्तक वितरण केन्द्र से पुस्तकें खरीदने पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाती है । अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए कि जब पुस्तक वितरण केन्द्र के पास पुस्तक विक्रेताओं के पंजीकरण बारे कोई भी अभिलेख है ही नही ंतो पुस्तक वितरण केन्द्र द्वारा किस आधार पर वर्षों से वर्णित 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है । पुस्तक विक्रेताओं द्वारा मात्र पंजीकरण नम्बर लिखवा देने से उन्हें छूट देने की सुविधा प्रदान करना उचित प्रतीत नहीं होता है । अतः उक्त अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा पूर्ण छानबीन उपरान्त यदि प्रदान छूट गलत पाई जाए तो उस राशि की वसूली सम्बन्धित से सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त बोर्ड प्रशासन को परामर्श दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में सम्बन्धित शाखा को उचित निर्देश जारी किए जाए कि प्रत्येक वर्ष बोर्ड से पंजीकृत/नवीकृत सभी पुस्तक विक्रेताओं की सूची पुस्तक वितरण केन्द्रों को उपलब्ध करवाएं ताकि विक्रय केन्द्र केवल उन्हीं पुस्तक विक्रेताओं को 10 प्रतिशत छूट देना सुनिश्चित करें जो बोर्ड से नियमानुसार पंजीकृत व प्रत्येक वर्ष नवीकृत हुए हों:–

| **क्रमांक** | **पुस्तक वितरण केन्द्र का नाम** | **अंकेक्षण की अवधि** | **पैरा संख्या** |
|---|---|---|---|
| 1. | रोहड़ू | 4/11 से 3/16 | 7 |
| 2. | राजगढ़ | 4/15 से 3/16 | 4 |
| 3. | चौंतड़ा | 4/14 से 3/16 | 8 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | रिकांगपिओ | 4/15 से 3/16 | 8 |
| 5. | शिमला | 4/11 से 3/16 | 9 |
| 6. | पपरोला | 4/15 से 3/16 | 9 |
| 7. | ऊना | 4/14 से 3/16 | 9 |
| 8. | चम्बा | 4/11 से 3/16 | 5 |
| 9. | कुल्लू | 4/16 से 3/17 | 6 |
| 10. | मण्डी | 4/15 से 3/16 | 5 |
| 11. | जसूर | 4/15 से 3/17 | 7 |

**(छ) उत्तर पुस्तिकाओं से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों को अंकेक्षण हेतु उपलब्ध न करवाना**

निम्नलिखित पुस्तक वितरण केन्द्रों द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि से सम्बन्धित उत्तर पुस्तिकाओं का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण हेतु उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसके आभाव में प्रिन्टर्ज व अन्य पुस्तक विक्रय केन्द्रों से प्राप्त व विभिन्न स्कूलों की परीक्षाओं में उपयोग हेतु जारी की गई उत्तरपुस्तिकाओं से सम्बन्धित लेखों का अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः उत्तर पुस्तिकाओं के स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण हेतु उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए जाने सुनिश्चित किए जाए ताकि अपेक्षित अंकेक्षण में कोई रूकावट न आएः–

| क्र0 सं0 | नाम पुस्तक वितरण केन्द्र | अंकेक्षण अवधि | पैरा संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | रोहड़ू | 4/11 से 3/16 | 8 |
| 2. | चौतड़ा | 4/14 से 3/16 | 5 |
| 3. | रिकांगपिओ | 4/15 से 3/16 | 6 |
| 4. | शिमला | 4/11 से 3/16 | 10 |
| 5. | पपरोला | 4/15 से 3/16 | 6 |
| 6. | चम्बा | 4/11 से 3/16 | 10 |
| 7. | मण्डी | 4/15 से 3/16 | 6 |
| 8. | जसूर | 4/15 से 3/17 | 4 |

## 17 पुस्तक विक्रय केन्द्रों द्वारा उपयोग कैश मैमों के अंकेक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताएं

**(क)** बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों के वित्तीय वर्ष 2016–17 के कैश मैमों का अंकेक्षण करने के दौरान निम्नलिखित अनियतिताएं पाई गई जिनका शीघ्र यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

**(ख) विभिन्न पुस्तक वितरण केन्द्रों द्वारा उपयोग कैश मैमों बुक में से दुरूपयोग किए गए कैश मैमों के सन्दर्भ में**

विभिन्न पुस्तक वितरण केन्द्रों द्वारा पुस्तकों के विक्रय तथा उनसे सम्बन्धित राशि की प्राप्ति हेतु जारी रसीद/कैश मैमों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि वर्णित जारी कैश मैमों व उनसे सम्बधित प्राप्त राशि का न तो कहीं कोई इन्द्राज ही किया गया है और न ही इन कैश मैमों को रदद् किया दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त वर्णित कैश मैमों न तो सम्बन्धित, कैश मैमों बुक में ही उपलब्ध पाए गए हैं और न ही इस सन्दर्भ में कोई प्रमाण पत्र सम्बन्धित नियन्त्रण अधिकारी द्वारा दिया गया है, जिसके कारण इन रसीदों/कैश मैमों के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं जा सकता है । अतः इस सन्दर्भ में उच्चस्तरीय जांच उपरान्त यह सुनिश्चित किया जाए कि इन रसीदों/कैश मैमों का कहीं कोई दुरूपयोग तो नहीं किया गया है तथा दुरूपयोग पाए जाने की अवस्था में उचित कार्यवाही अमल में लाकर लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए:–

| **क्रमांक** | **पुस्तक विक्रय केन्द्र का नाम** | **कैश मैमों जो न ही सम्बन्धित कैश मैमोंवुक में पाए गए व न ही रदद् किए दर्शाए गए हैं ।** |
|---|---|---|
| 1 | भोरजं | 28228, 34460, 28326 |
| 2. | चम्बा | 31186,31233,31234,33204,33213,33218,33263 |
| 3 | धर्मशाला | 34356 |
| 4. | बिलासपुर | 30147, 30405, 30383 |
| 5. | पपरोला | 34802, 34803, 34752, 34761 व 34762 |
| 6. | रोहडू | 32059, 32060, 32064, 32066, 32067 व 32068 |
| 7 | शिमला | 32355, 32364, 34855, 34857, 34918, 34919, 34928 |
| 8. | सोलन | 32673, 32679, 32696, 32697, 32732 से 32735 व 32738 |
| 9. | ऊना | 33712, 33714, 31058 व 31059 |
| 10. | राजगढ़ | 34659 से 34661 |
| 11. | रामपुर | 5367 व 5372 |
| 12. | कुल्लू | 8120, 8142, 8144, 34015, 8095, 34115 व 34116 |
| 13. | मण्डी | 29746, 30897, 30400, 30920 |
| 14 | धुमारवीं | 30703 से 30705, 30710 से 30713, 30744, 30793, |

| | | |
|---|---|---|
| | | 30813, 30825 |
| 15. | हमीरपुर | 32452 से 32454 |

## (ग) विक्रय शाखा द्वारा विभिन्न पुस्तक वितरण केन्द्रों को जारी नगदी रसीद पुस्तकों (कैश मैमों बुक) का नियमानुसार रख–रखाव न करना

विक्रय शाखा द्वारा विभिन्न पुस्तक वितरण केन्द्रों को जारी नगदी रसीद पुस्तकों (कैश मैमों बुक) से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में पाया गया कि विक्रय शाखा द्वारा इस महत्वपूर्ण अभिलेख के रख–रखाब में गम्भीर चूक बरती जा रही है । नियमानुसार प्रत्येक कैश मैमों, बिल बुकों इत्यादि को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा गणना प्रमाण पत्र देकर सत्यापित करने उपरान्त स्टाक रजिस्टर में दर्ज करके विभिन्न वितरण केन्द्रों को जारी किया जाना आपेक्षित था व वितरण केन्द्रों द्वारा कैश मैमों की समाप्ति उपरान्त इन्हें विक्रय शाखा में राशि व दिनांक सहित पुनः जमा करवाने व विक्रय शाखा द्वारा इन्हें स्टाक रजिस्टर में नियमानुसार दर्ज करना अपेक्षित था ताकि इस सन्दर्भ में किसी भी प्रकार के दुरूपयोग की सम्भावना को नकारा जा सके ।

परन्तु विक्रय शाखा द्वारा ऐसा कोई नियन्त्रण नहीं रखा जा रहा है अर्थात नकदी रसीद पुस्तक जारी करते समय तो तिथि अंकित की जाती है परन्तु तदोपरान्त सम्बन्धित डिपू द्वारा प्रयोग उपरान्त इसे कब वापिस किया गया, इसका कोई अभिलेख नहीं रखा जाता है, इसी प्रकार रसीद पुस्तक जारी करते समय आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा रसीद पुस्तकों में संलग्न कुल रसीदों के सन्दर्भ में कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है जससे यह सुनिश्चित हो सके कि किसी रसीद पुस्तक या रसीद का दुरूपयोग नहीं किया गया है तथा अगली पुस्तक जारी करने से पूर्व पुरानी पुस्तक का पूर्ण प्रयोग में लाया जाना सुनिश्चित किया गया है। उदाहरण के रूप में पुस्तक वितरण केन्द्र बिलासपुर को दिनांक 3.1.2015 में 30001 से 30500 क्रमांक की दस रसीद पुस्तकें जारी की गई जिसमें से क्रमांक 30405 की रसीद पुस्तक से वर्ष 2016 में आय बसूल की गई परन्तु जांच में पाया गया कि ऊपर वर्णित रसीद पुस्तकों का पूर्ण उपयोग होने से पूर्व ही दिनांक 7.1.2015 को क्रमांक 30951 से 31100 तक की तीन रसीद पुस्तकें दिनांक 5.3.15 को क्रमांक 31851 से 31950 तक की दो पुस्तकें तथा दिनांक 1.2.16 को क्रमांक 33651 से 33900 तक की पांच पुस्तकें अनावश्यक रूप से जारी कर दी गई । ऊपर विवरण से स्पष्ट होता है कि विक्रय शाखा द्वारा नगदी प्राप्ति रसीद/कैश मेमौं पुस्तकों को जारी करते समय गम्भीर लापरवाही वरती जाती है जिसके कारण कभी भी किसी रसीद अथवा रसीद पुस्तकों के दुरूपयोग की सम्भावना से

इन्कार नहीं जा सकता है। अतः यह मामला उचित कार्यवाही हेतु बोर्ड प्रशासन के विशेष ध्यान में लाया जाता है और परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में प्रत्येक रसीद पुस्तक जारी करने से पूर्व प्रत्येक रसीद पुस्तक में संलगन रसीद संख्याओं के सन्दर्भ में आहरण एवं वितरण अधिकारी से प्रमाण पत्र लेकर जारी किया जाए तथा पुरानी/प्रयोग की गई रसीद पुस्तक व उसका रिकार्ड प्राप्त करने के उपरान्त ही अगली रसीद पुस्तकों का जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा रसीद पुस्तकों को जारी करने सम्बन्धी स्टॉक रजिस्टर का रख–रखाव निम्न वर्णित प्रपत्र पर किया जाएः–

| क्र0 सं0 | दिनांक | अथ शेष (OB) | नई प्राप्त कैश मैमों/प्राप्ति रसीद पुस्तकें | कुल योग | पुस्तक विक्रय केन्द्र का नाम जिसे पुस्तकें जारी की गई | जारी की गई मात्रा | कैश मैमों की कम संख्या | शेष मात्रा | प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर | कैश मैमों को वापिस प्राप्त करने की तिथि | प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

### (घ) पुस्तक विक्रय से प्राप्त ₹0.55 लाख का सम्भावित दुर्विनियोजन

पुस्तक वितरण केन्द्रों द्वारा कैश मैमों के माध्यम से जो पुस्तकें बेची जाती है उनका इन्द्राज कैश मैमों रजिस्टर में किया जाता है तथा तदानुसार तिथि वार बैंक डिपोजिट रजिस्टर में भी प्राप्त राशि का इन्द्राज करके इन्हें बैंक में जमा करवाया जाता है । अभिलेख की जांच में पाया गया कि निम्न वर्णित माह में कैश मैमों का कैश मैमों रजिस्टर में गलत इन्द्राज किया गया, तदानुसार बैंक खाते में गलत/कम राशियां जमा करवाई गई । परिणामतः अंकेक्षण अवधि में निम्न विवरणानुसार कुल ₹54545 कम जमा करवाए गए जिसके कारण वर्णित राशि का दुरूपयोग किया गया प्रतीत होता है जो एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है । अतः यह मामला बोर्ड प्रशासन के विशेष ध्यान में लाया जाता है ताकि इस सन्दर्भ में पूर्ण उच्चस्तरीय जांच उपरान्त नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए ताकि गलती की पुनरावृति पर रोक लगाई जा सके साथ ही दुर्विनियोजन की अवस्था में वर्णित राशि की बसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके बोर्ड निधि में जमा की जाए, और कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाएः–

| क्र0सं0 | डिपु का नाम | माह | कैश मैमों अनुसार राशि (₹) | बैंक में जमा राशि (₹) | बैंक में कम जमा राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | धर्मशाला | अप्रैल, 16 | 723682 | 717079 | 6603 |
| 2. | नाहन | मार्च, 17 | 1566076 | 1565106 | 970 |
| 3. | राजगढ़ | –यथोपरि– | 90703 | 54551 | 36152 |
| 4. | रोहड़ू | सितम्बर, 16 | 51482 | 49482 | 2000 |
| 5. | शिमला | अक्तूवर, 16 | 45335 | 36515 | 8820 |

कुल राशि ₹54545

## 18 मुद्रकों से नियमानुसार ₹125.86 लाख की बैंक गारन्टी लिए बिना ₹509.06 लाख मूल्य का कागज जारी करना

शैक्षणिक सत्र 2015–16 के लिए मुद्रित पुस्तकों से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में पाया गया कि बोर्ड प्रशासन द्वारा मुद्रकों से विभिन्न पुस्तकों की छपवाई हेतु उनको पेपर की आपूर्ति करने से पूर्व वांछित बैंक गारण्टी नहीं ली गई जबकि नियमानुसार बोर्ड द्वारा पुस्तक छपवाई हेतु कागज की आपूर्ति से पूर्व पेपर की कुल राशि का 25 प्रतिशत सम्बन्धित मुद्रक द्वारा बैंक गारण्टी के रूप में बोर्ड के पास रैहन (Security) रखना आपेक्षित था ताकि बोर्ड का हित सुरक्षित रह सके। इस प्रकार निम्न वर्णित मामलों में बोर्ड के हितों की अनदेखी करते हुए व मुद्रकों को अनुचित लाभ देते हुए बिना/कम बैंक गारण्टी लिये पुस्तक मुद्रण हेतु करोड़ों रूपये का कागज/पेपर दे दिया गया जो एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है । कार्य की गम्भीरता को देखते हुए यह मामला अंकेक्षण अधियाचना सं0 RAS(Edu. Board)2-/2004-834 दिनांक 30.8.2016 द्वारा सचिव शिक्षा बोर्ड के विशेष संज्ञान में लाया गया ताकि इस चूक हेतु, चूककर्ताओं के विरूद्व उचित कार्यवाही करने के साथ–साथ पूर्नावृति रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाये जा सके और नियमों की अनुपालना के साथ–2 बोर्ड का हित भी सुरक्षित रह सकेः–

| क्र0सं0 | मुद्रक का नाम | जारी पेपर की कुल कीमत (₹) | नियमानुसार वांछित गारण्टी की राशि (₹) | मुद्रक द्वारा गारण्टी के तौर पर रखी राशि (₹) | कम जमा करवाई गई गारण्टी की राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M/s. Gem Multiculour Saharanpur | 32554468 | 8138617 | 140000 | 7998617 |
| 2 | M/s. MBD Printographic Gagret | 18351285 | 4587821 | –शून्य– | 4587821 |
| | **कुल राशि** | **50905753** | **12726438** | **140000** | **12586438** |

अतः यह गम्भीर मामला बोर्ड के विशेष संज्ञान में लाया जाता है । नियमानुसार वांछित बैंक गारण्टी न लेने का कारण स्पष्ट किया जाऐ व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उपरोक्त वर्णित मुद्रकों को जारी कागज की एवज में सभी पुस्तकें प्राप्त कर ली गई हैं तथा कोई लेन–देन शेष नहीं है। इस प्रकार की गम्भीर चूक की पुनरावृति को रोकने हेतु व चूककर्ता के विरूद्व की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

## 19 शिक्षा बोर्ड द्वारा खरीदे गए कम्पयूटर व प्रिन्टर्ज का औचित्य स्पष्ट न करना

बोर्ड द्वारा माह अप्रैल, 2016 में ₹18,95,190 का भुगतान करके इलैक्ट्रोनिक कारपोरेशन शिमला से 30 डैस्कटॉप व 24 प्रिन्टर्ज की खरीद की गई । अभिलेख की जांच

में पाया गया कि बोर्ड द्वारा इन कम्पयूटर की खरीद/स्टॉक से सम्बन्धित कोई भी ऐसा अभिलेख तैयार नहीं किया गया है जिससे पता चल सके कि समय–समय पर बोर्ड द्वारा कुल कितने कम्पयूटर खरीदे गये थे और उन्हें कहां–कहां स्थापित किया गया है और जिससे उक्त की जा रही खरीद को उचित ठहराया जा सके । उदाहरण के रूप में बोर्ड द्वारा वर्ष 2011 में ₹2 करोड़ व्यय करके, मै0 व्योम टैक्नोलजी से बोर्ड की सभी शाखाओं में कम्पयूटर लगवाये गये थे तथा इस प्रकार उक्त नई खरीद से पूर्व पुराने कम्पयूटर का क्या किया गया, इस वारे कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा कभी भी समय समय पर क्रय किये कम्पयूटरों का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है जिसके अभाव में किसी प्रकार के दुरूपयोग अथवा अनावश्यक खरीद की सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता है। इस विषय को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः RAS (Edu.Board) 2-/2014-831 दिनांक 30.8.2016 द्वारा सचिव, शिक्षा बोर्ड के संज्ञान में लाया गया था तथा समय समय पर वर्ष वार की गई कम्पयूटर की खरीद तथा वर्तमान में प्रयोग में लाए जा रहे कम्पयूटर का पूर्ण विवरण तैयार करके, स्टॉक में पड़े शेष कम्पयूटरों की भौतिक सत्यापना उपरान्त यह पता लगाने का अनुरोध किया गया था, कि शेष कितने कम्पयूटर ठीक है जिन्हें प्रयोग में लाया जा सकता है ताकि शेष खराब कम्पयूटरों को स्टॉक से नियमानुसार कार्यवाही करके खारिज किया जा सके व किसी प्रकार के दुरूपयोग की सम्भावना को भी नकारा जा सके व साथ में उपरोक्त कम्पयूटर खरीद को भी उचित ठहराया जा सके । अतः अब उपरोक्त वांछित कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए ।

**20 मुद्रकों द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार पुस्तकों की आपूर्ति निर्धारित गंतव्य पर न करने के कारण बोर्ड को ₹0.81 लाख की वित्तीय हानि**

शैक्षणिक सत्र 2015–16 में विभिन्न कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों को मुद्रित करवाने व इन पुस्तकों को बोर्ड के विभिन्न डिपुओं में पंहुचाने हेतु आमन्त्रित टैण्डर अनुसार मुद्रकों व बोर्ड के बीच समझौता हुआ था परन्तु मुद्रकों द्वारा पुस्तकों की देरी से की जा रही आपूर्ति को ध्यान में रखते हुऐ सभी पुस्तकें पेपर गोदाम अम्ब में ही उतार दी गई परिणामस्वरूप पुस्तकों को अम्ब में उतारने व पुनः विभिन्न डिपुओं में आपूर्ति करने हेतु पुनः गाड़ी में चढ़ाने का खर्चा बोर्ड को अनावश्यक रूप से वहन करना पड़ा । चूंकि गाड़ियों का भाड़ा तो सम्बन्धित मुद्रकों से काट लिया गया है परन्तु पुस्तकों को अम्ब में उतारने व पुनः गाड़ी में चढ़ाने का लेबर खर्चा ₹81462 की प्रतिपूर्ति मुद्रकों से नहीं की गई थी जिसके कारण बोर्ड निधि पर अनावश्यक प्रभार पड़ा है और इतनी राशि की वित्तीय हानि हुई है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः आर0एस0(एजु0 बोर्ड)2–2014–752 दिनांक 17.5.2016, द्वारा

वर्णित अनियमितता को सचिव, शिक्षा बोर्ड के संज्ञान में भी लाया गया था जिसके उत्तर/जबाव में सहायक सचिव पुस्तक मुद्रण शाखा ने क्रमांकः हि0शि0बो0(41) पुस्तक मुद्रण शाखा/2016/32542 दिनांक 5.9.2016 अनुसार माना है कि मुद्रकों द्वारा पुस्तकें समय पर मुद्रित न करने व अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार पुस्तकें पेपर गोदाम अम्ब में ही उतारी गई थी तथा ₹81462 मुद्रकों/प्रकाशकों से इसलिए नहीं काटी गई क्योंकि पुस्तक वितरण केन्द्रों में उतारने व चढ़ाने का खर्च बोर्ड वहन करता है, प्रस्तुत प्रत्युत्तर सन्तोषजनक प्रतीत नहीं होता है क्योंकि पुस्तकों के प्रकाशन में देरी के कारण की जबावदेही विभिन्न मुद्रकों की थी न कि बोर्ड की । इसके अतिरिक्त अगर नियमानुसार समय पर मुद्रक विभिन्न डिपूओं में पुस्तकें आपूर्ति करते तो बोर्ड को पेपर गोदाम अम्ब में न तो पुस्तकें उतारने की आवश्यकता पड़ती और न ही इस हेतु किया गया अतिरिक्त खर्चा वहन करना पड़ता जोकि मुद्रकों की गल्ती के कारण बोर्ड द्वारा वहन किया गया है। इसलिए ₹81462 की कटौती भी विभिन्न मुद्रकों से के जानी अपेक्षित थी ताकि बोर्ड को हुई हानि की भरपाई की जा सके। अतः बोर्ड द्वारा उच्च स्तरीय छानबीन उपरान्त वर्णित राशि की देयता सुनिश्चित करके राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करते हुए बोर्ड को हुई हानि की प्रतिपूर्ति की जाए तथा कृत कार्यवही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

## 21 निदेशक मण्डल की अनुमति के बिना कर्मचारियों को ₹1.56 लाख के परिश्रमिक का अनियमित भुगतान करना

वित्तीय वर्ष 2016–17 में कांगड़ा सहकारी बैंक व हिमाचल सहकारी बैंक में भर्ती परीक्षा संचालन के लिए बोर्ड प्रशासन द्वारा कर्मचारियों को ₹500 प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति के हिसाब से ₹155500 के पारिश्रमिक का भुगतान किया गया था, परन्तु बोर्ड के सामान्य नियमों की धारा 5.2 अनुसार उपरोक्त राशि को खर्च करने से पूर्व निदेशक मण्डल की अनुमति लेनी आवश्यक थी, जिसे बोर्ड प्रशासन द्वारा नहीं लिया गया था । इस मामले को अधियाचना संख्याः RAS (Edu.Board)2-2014-726 दिनांक 7.4.16 द्धारा वोर्ड प्रशासन के संज्ञान में लाया गया था परन्तु लगभग 2 वर्ष का समय बीत जाने के उपरान्त भी बोर्ड प्रशासन द्वारा इस सन्दर्भ में की गई किसी भी कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं करवाया गया जोकि एक गम्भीर चिन्तनीय विषय है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निदेशक मण्डल सभी प्रकार के निर्णय लेने में सक्षम है, अगर वह नियमानुसार हों और चूंकि उक्त वर्णित पारिश्रमिक भुगतान का निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित यात्रा भत्ता नियमों के विपरीत है, इसलिए इस सन्दर्भ में प्रथम प्रदेश सरकार से कार्योत्तर स्वीकृति भी वांछित है। अतः उक्त भुगतान को या तो नियमानुसार प्रदेश सरकार व निदेशक मण्डल से

कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए अन्यथा यात्रा भत्ता नियमों के विपरीत किये गये अनियमित भुगतान की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

**22 प्रदेश सरकार की अनुमति बिना हवाई यात्रा पर ₹0.33 लाख का अनियमित व्यय करना**

श्री विनय धीमान सचिव, स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा दिनांक 2.11.2015 से 9.11.2015 तक मुम्बई में सम्पन्न हुई C.B.S.E. कोन्सिल आफ बोर्ड आफ स्कूल ऐजुकेशन की 44बीं सालाना बैठक में भाग लेने हेतु चण्डीगढ़ से मुम्बई व मुम्बई से धर्मशाला तक की वापिसी यात्रा हवाई जहाज द्वारा की गई जिस पर कुल ₹33,424 व्यय किये गये थे। बोर्ड प्रशासन द्वारा इस व्यय की प्रतिपूर्ती बिल को इस आश्वासन के साथ अंकेक्षण से पारित करवाया गया था कि पत्र सं0 academic/07/COBSE Vol-11-5313 दिनांक 3.12.2015 से प्रदेश सरकार से इस व्यय को नियमित करने हेतू कार्योत्तर स्वीकृति मांगी गई है परन्तु लगभग ढाई वर्ष का समय बीत जाने पर भी अपेक्षित कार्योत्तर स्वीकृति से अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया गया है । इस विषय को अंकेक्षण अधियाचना सं0 RAS (Edu.Board)2-2014/725 दिनांक 7.4.2016 द्वारा भी स्मरण करवाया गया था परन्तु अभी तक इस पर बोर्ड प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है और न ही सरकार से प्राप्त कार्योत्तर स्वीकृति की प्रति लेखा परीक्षा को दिखाई गई है। अतः पुनः परामर्श दिया जाता है कि इस विषय में सरकार से प्राप्त कार्योत्तर स्वीकृति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा यात्रा भत्ता बिल की अदायगी का दोबारा आंकलन करके नियमानुसार उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए ।

**23 विभिन्न शिक्षण संस्थानों को ₹2.34 लाख प्रदत्त अनुदान राशियों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना**

हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड अनुदान नियम, 1997 के नियम 3(ए) अनुसार अध्यक्ष, हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा वर्ष 2010 के बाद ₹280000 विभिन्न शिक्षण संस्थानों को खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम/पुस्तकालय इत्यादि के लिए अनुदान के रूप में स्वीकृत करके भुगतान की गई थी तथा उपदान राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उक्त अधिनियम की विभिन्न धाराओं अनुसार सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाचार्ये द्वारा बोर्ड कार्यालय को, बोर्ड जिला प्रबन्धक/प्रभारी पुस्तक विक्रय केन्द्र के माध्यम से भेजे जाने आपेक्षित थे, परन्तु सम्बन्धित निम्न शिक्षण संस्थाओं से वान्छित उपयोगिता प्रमाण पत्र बोर्ड को अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, जिसके कारण अंकेक्षण में यह सत्यापना सम्भव नहीं हो पाई कि जिस उद्वेश्य

हेतु अनुदान राशियां स्वीकृत की गई थी क्या उसी प्रयोजन हेतु संस्थानों द्वारा ब्यय की गई है अथवा नहीं :–

| क0 संख्या | शिक्षण संस्थान का नाम | अनुदान राशि (₹) | वित्तीय वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1. | प्रधानाचार्य, रा0 व0 मा0 विद्यालय थुनाग (मण्डी) | 11000 | 2010–11 |
| 2. | प्रधानाचार्य, कांगड़ा वैली व0 मा0 विद्यालय शीला चौक धर्मशाला | 10000 | 2010–11 |
| 3. | प्रधानाचार्य, रा0 व0 विद्यालय गोवाल टिक्कर (कांगड़ा) | 11000 | 2010–11 |
| 4. | प्रधानाचार्य, एस.डी.व0 विद्यालय, शिमला | 11000 | 2010–11 |
| 5. | प्रधानाचार्य, सरस्वति विद्या मन्दिर, मण्डी | 11000 | 2010–11 |
| 6. | प्रधानाचार्य, एस0डी0मॉडल स्कूल धंगोटी (कांगड़ा) | 10000 | 2010–11 |
| 7. | एम0एल0एम0डी0ए0बी0 कॉलेज कांगड़ा | 10000 | 2012–13 |
| 8. | प्रधानाचार्य, रा0व0विद्यालय रिकांगपिओ | 10000 | 2012–13 |
| 9. | प्रधानाचार्य, सेरकांग स्कूल ताबो लौहलस्पिति | 10000 | 2012–13 |
| 10. | प्रधानाचार्य, हिल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल जुबल शिमला | 20000 | 2013–14 |
| 11. | प्रधानाचार्य, रा0 व0 विद्यालय नालागढ़ | 5100 | 2014–15 |
| 12. | प्रधानाचार्य, रा0 (छात्र) व0 मा0 विद्यालय धर्मशाला | 20000 | 2014–15 |
| 13. | प्रधानाचार्य, डी0ए0बी0 कॉलेज कांगड़ा | 5000 | 2014–15 |
| 14. | प्रधानाचार्य, हिल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल जुब्बल शिमला | 20000 | 2014–15 |
| 15. | प्रधानाचार्य, भारती विद्यापीठ पब्लिक स्कूल बैजनाथ | 10000 | 2014–15 |
| 16. | प्रधानाचार्य, भारती हिमालय पब्लिक स्कूल जधरांगल (चम्बा) | 10000 | 2015–16 |
| 17. | प्रधानाचार्य, इन्दो बुदिस्ट स्कूल कलाथ | 20000 | 2016–17 |
| 18. | प्रधानाचार्य, भगत सिंह मेमोरियल, स्कूल शिमला | 10000 | 2016–17 |
| 19. | प्रधानाचार्य, होलीफेत, रा0 उच्च विद्यालय पठियार, कांगड़ा | 10000 | 2016–17 |
| 20. | प्रधानाचार्य, सैंट रूद्राक्ष कोनवेन्ट स्कूल खव्वल कथोली (नगरोटा सूरियां) जिला कांगड़ा(हि0प्र0) | 10000 | 2016–17 |
| | **कुल योग** | **₹2,34,100** | |

अतः सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों से नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए ताकि अनुदान राशि के दुरूपयोग की सम्भावना को नकारा जा सके।

## 24 अस्थाई अग्रिम ₹3032.79 लाख का समायोजन न करना

(क) बोर्ड कार्यालय की विभिन्न शाखाओं द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचियों के अनुसार विविध प्रयोजनों के लिए बोर्ड निधि से प्रदत्त अस्थाई अग्रिम राशियों में से दिनांक 31.3.2017 तक निम्न विवरणानुसार ₹30,32,79,148 असमायोजित थी। इतनी अधिक राशि का समायोजन हेतू शेष रहना एक चिन्तनीय विषय है अतः यह मामला अविलम्ब उच्च स्तरीय कार्यवाही हेतु बोर्ड प्रशासन के विशेष संज्ञान में लाया जाता है ताकि अस्थाई अग्रिमों का अतिशीघ्र समायोजन सम्भव हो सके और किसी अस्थाई दुर्विनियोजन की सम्भावना को नकारा जा सकेः–

| क0सं0 | अग्रिम राशि का विवरण | असमायोजित राशि (₹) |
|---|---|---|
| 1. | फलाईंग स्कयेड हेतु दी गई अग्रिम राशि | 1,75,000 |
| 2. | परीक्षा संचालन हेतु विभिन्न अध्यापकों को दी गई अग्रिम राशि (लेखा–6) | 13,82,57,786 |
| 3. | विभिन्न परीक्षकों, उप–परीक्षकों व अन्य को उत्तर पुस्तिकाओं के मुल्यांकन हेतु दी गई अग्रिम राशि (लेखा–7) | 1,41,51,033 |
| 4. | विभिन्न मुद्रकों/फर्मों/कर्मचारियों को दी गई अग्रिम राशि (उत्पादन शाखा व सेल शाख) | 1,05,58,091 |
| 5. | विभिन्न फर्मों/कर्मचारियों को दी गई अग्रिम राशि (लेखा–3) | 14,00,63,588 |
| 6. | यात्रा भत्ता हेतु दी गई अग्रिम राशि | 73,650 |
| | **कुल योग** | **₹30,32,79,148** |

**(ख) वर्ष 1969 से 2000 तक लगभग 18 से 47 वर्ष पुराने ₹501.60 लाख के अस्थाई अग्रिमों का समायोजन न करना**

अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि उक्त पैरा संख्या 29 में वर्णित दिनांक 31.3.2017 तक समायोजन हेतु बकाया कुल ₹30.32 करोड़ के अग्रधन में वर्ष 1969 से वर्ष 2000 तक लगभग 18 से 47 वर्ष पुराने अग्रधन ₹5,01,59,932 के 728 प्रकरण समायोजन हेतु लम्बित पड़े हैं जिनका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 'ज'** पर दिया गया है। अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि इन अग्रिम राशियों में से अधिकाशं अग्रिम उन बोर्ड अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम जारी की गई थी जिनमें से अधिकतर अधिकारी/ कर्मचारी अब सेवा निवृत हो चुके हैं तथा जिन्हें सेवा निवृति के समय बोर्ड प्रशासन द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी किया जाना अपेक्षित था । अतः इस सन्दर्भ में स्पष्ट किया जाए कि उक्त प्रमाण पत्र किस आधार पर सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों को जारी किया गया था और वर्णित प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्ण लम्बित अस्थाई अग्रिमों का समायोजन सुनिश्चित क्यों नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त इतने पुराने अग्रिम के समायोजन न होने

पर इन राशियों के दुरूपयोग व गवन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः उच्चस्तरीय समिति बनाकर व किसी प्रकार के दुरूपयोग को नकारते हुए इन राशियों के समायोजन हेतु अविलम्ब प्रभावी कदम उठाए जाऐं तथा कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए ।

**(ग)** इसके अतिरिक्त वर्ष 2001 के पश्चात प्रदान की गई अग्रिम राशियों का समायोजन भी शीघ्र किया लाना सुनिश्चित किया जाए।

## 25 शैक्षणिक सत्र मार्च, 2016 में आयोजित परीक्षाओं के संचालन हेतु प्रदत्त अस्थाई अग्रिम ₹266.61 लाख में से ₹8.99 लाख की अनुपयोग राशि की वसूली न करना

बोर्ड द्वारा शैक्षणिक सत्र मार्च, 2016 में आयोजित की गई विभिन्न परीक्षाओं के संचालन हेतु ₹2,66,60,735 अग्रिम राशि के रूप में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं को भुगतान किए गए थे। इससे सम्बन्धित बिलों की अंकेक्षण में जांच उपरान्त पाया गया कि कुल अग्रिम राशि में से अनुपयोग ₹31,97,741 बोर्ड खाते में वापिस जमा करवा दिए गए थे जबकि ₹8,99,231 अभी भी वसूली योग्य शेष है जिसके कारण उक्त वर्णित अग्रिम राशि का पूर्ण रूप से समायोजन सम्भव नहीं हो सका। अतः दो वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी शेष बची अग्रिम राशि का समायोजन न हो पाना एक गम्भीर चिन्ता का विषय है । अतः परामर्श दिया जाता है कि ₹899231 शेष राशि की बसूली हेतु मामला शिक्षा विभाग से अविलम्ब उठाकर राशि की बसूली सुनिश्चित की जाए ताकि उक्त अग्रधन राशि का पूर्ण समायोजन सम्भव हो सके।

इसी तरह से वर्ष 2005 से मार्च–2017 तक बसूली हेतु राशि लम्बित रहने के कारण ₹12,71,83,162 के अस्थाई अग्रधन का समायोजन आज दिन तक सम्भव नहीं हो सका है जिसका उल्लेख लेखा परीक्षा द्वारा प्रत्येक वर्ष के अंकेक्षण प्रतिवेदन में लगातार किया जा रहा है परन्तु बोर्ड प्रशासन द्वारा इस सन्दर्भ में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं जो बोर्ड प्रशासन की अग्रिम राशियों के समायोजन हेतु उदासीनता को दर्शाता है। अतः इस मामले में भी अविलम्ब अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए ।

## 26 चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर का रख–रखाव न करना

जब से बोर्ड की स्थापना हुई है तब से आज तक बोर्ड के पास क्या–2 चल व अचल सम्पत्ति है, इस बारे में बोर्ड कार्यालय में कोई लिखित अभिलेख उपलब्ध नहीं है। अचल सम्पति रजिस्टर का जहां एक ओर रख–रखाव ही नहीं किया गया है वहीं दूसरी ओर चल सम्पत्ति जैसे कि मेज, कुर्सियां, अल्मारियां, कम्पयूटर तथा ऐसे अन्य अनेक सामान

के क्रय के तुरन्त उपरान्त सम्बन्धित शाखा को जारी करके स्टॉक रजिस्टर में शेष शून्य दर्शा दिया जाता है। अतः उपरोक्त अभिलेख के अभाव में बोर्ड की चल एवं अचल सम्पति का आंकलन किया जाना सम्भव नहीं है ।

अतः बोर्ड प्रशासन से अनुरोध है कि उपरोक्त रजिस्टरों का नियमानुसार रख–रखाव एवं अद्यतन (Update) करने के उपरान्त अभिलेख को लेखा परीक्षा में सत्यापना हेतु प्रस्तुत करने के दिशा निर्देश दिए जाऐं ।

## 27 भण्डार का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन न करना

हि0 प्र0 वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 140 के अनुसार साल में कम से कम एक बार स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अनिवार्य है तथा नियम 141 के अनुसार प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रक्रिया सम्बन्धित नियम में स्पष्ट वर्णित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि प्रत्येक वर्ष के अन्त में स्टॉक रजिस्टरों के अनुसार शेष पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया जाता है । इस सन्दर्भ में गत वर्षों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में भी लगातार आपत्ति उठाए जाने के बावजूद यह अनियमितता लगातार जारी है, जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है।

अतः बोर्ड प्रशासन से पुनः अनुरोध है कि इस बारे में सम्बन्धित अधिकारीयों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएं ताकि भविष्य में प्रत्येक वर्ष के अन्त में स्टॉक रजिस्टरों अनुसार शेष पड़े सामान का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि वस्तुओं के दुर्विनियोजन की सम्भावना को नकारा जा सके।

## 28 पूर्व अंकेक्षण के दौरान विभिन्न बिलों से ₹15.65 लाख कटौतियाँ (रिट्रेन्चमैंट) करना

अंकेक्षण अवधि के दौरान पूर्व अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए गए बिलों की जांच के दौरान अधिक, अनियमित एवम् गलत भुगतान प्रस्तुत किए जाने के फलस्वरूप ₹15,64,967 की कटौतियां की गई हैं जिसके कारण बोर्ड को वर्णित राशि की बचत हुई है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि बोर्ड कार्यालय द्वारा बिलों की जांच सही एवम् नियमित तौर पर नहीं की गई थी । अतः बोर्ड प्रशासन से अनुरोध है कि आन्तरिक जांच को सुदृढ़ किया जाए ताकि ऐसी अनियमितताओं की पुनःवृति न हो ।

**29** **लघु आपत्ति विवरणिका**:—यह अलग से जारी नहीं की गई है।

**30** **निष्कर्षः—**लेखाओं के उचित अनुरक्षण में और सुधार की आवश्यकता है । विशेषतः बैंक शेष तथा रोकड़ वही अनुसार शेषों में गत कई वर्षो से चले आ रहे अन्तर के मिलान, भारी असमायोजित अग्रिम राशियों के समायोजन एवं अनिर्णीत पैरों के निस्तारण हेतु विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।

| | |
|---|---|
| हस्ता / — | हस्ता / — |
| (अशोक कुमार सुद) | (आबीद हुसेन सादिक) |
| उप नियन्त्रक (ले0प0) | निदेशक |
| निवासी अंकेक्षण योजना, | स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, |
| हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोड, धर्मशाला | हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009 |

**परिशिष्ट—क,**

**पैरा 1(4) से सम्बन्धित**

**दिनांक 31.3.2017 तक अनिर्णीत पैरों का विवरण**

| क्रम सं0 | अंकेक्षण अबधि | अनिर्णीत पैरों का विवसण( पैरा सं0 से) | पैरा सं0 तक | पैरों की संख्या | कुल अनिर्णीत पैरों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1971—1972 | 14(ए) | — | 1 | 1 |
| | | 19 | — | 1 | 1 |
| | | 21(सी) | | 1 | 1 |
| | | 25 | — | 1 | 1 |
| 2. | 1972—1973 | 13(डी) | — | 1 | 1 |
| | | 19 | — | 1 | 1 |
| | | 22 | — | 1 | 1 |
| 3. | 1973—1974 | 18(2) | — | 1 | 1 |
| | | 21(ए) ) | 21(ई) | 5 | 5 |
| 4. | 1974—1975 | 10 | — | 1 | 1 |
| | | 14(2) | — | 1 | 1 |
| 5. | 1975—1976 | 12(2) | 12(4) | 3 | 3 |
| | | 13(2) | — | 1 | 1 |
| | | 16 | 17 | 2 | 2 |
| | | 23 | — | 1 | 1 |
| 6. | 1976—1977 | 16 | — | 1 | 1 |
| 7 | 1977—1978 | 12(ए) | 12(बी) | 2 | 2 |
| | | 12(ई) | 12(एफ) | 2 | 2 |
| | | 15(एफ) | — | 1 | 1 |
| 8. | 1978—1979 | 13(डी) | 13(एफ) | 3 | 3 |
| | | 13(के) | | 1 | 1 |
| | | 13(एल) | 13(एम) | निर्णीत | 0 |
| | | 13(एन) | 13(पी) | 3 | 3 |
| | | 13(क्यू) | 13(आर) | निर्णीत | 0 |
| | | 13(एस) | — | 1 | 1 |
| | | 14 | — | निर्णीत | 0 |
| | | 15 | — | 1 | 1 |
| | | 16 | 17 | निर्णीत | 0 |
| | | 18 | — | 1 | 1 |
| | | 20 | 21 | 2 | 2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 22(2) | 22(4) | निर्णीत | 0 |
| | | 23 | — | 1 | 1 |
| | | 24(1) | 24(4) | 4 | 4 |
| | | 25 | — | 1 | 1 |
| | | 29 | 36 | 8 | 8 |
| | | 37(ए) | 37(बी) | 2 | 2 |
| | | 37(डी) | 37(एफ) | 3 | 3 |
| | | 38 | 41 | 4 | 4 |
| | | 43 | 46 | 4 | 4 |
| 9. | 1979—1980 | 7 | 8 | 2 | 2 |
| | | 12(बी) | — | 1 | 1 |
| | | 13(ए) | 13(बी) | 2 | 2 |
| | | 13(डी) | 13(ई)(2) | निर्णीत | 0 |
| | | 13(ई);पपपद्धण;पअद्ध—;अद्ध | — | 3 | 3 |
| | | 13(एफ) | 13(एच)व(जे) | 4 | 4 |
| | | 14 | — | 1 | 1 |
| | | 17 | 21 | 5 | 5 |
| | | 23 | — | 1 | 1 |
| | | 23—बी | 23—सी | 2 | 2 |
| | | 24 | 30 | 7 | 7 |
| | | 32 | — | 1 | 1 |
| | | 34 | 37 | 4 | 4 |
| | | 40—ए | 40—सी | 3 | 3 |
| | | 41 | 46 | 6 | 6 |
| | | 47—ए | 47—बी | 2 | 2 |
| | | 48 | 52 | 5 | 5 |
| | | 54 | 55 | 2 | 2 |
| 10 | 1980—1981 | 8 | — | 1 | 1 |
| | | 12 बी | — | 1 | 1 |
| | | 14 | — | 1 | 1 |
| | | 16 | — | 1 | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 18 | — | 1 | 1 |
| | | 20 | — | 1 | 1 |
| | | 25 | — | 1 | 1 |
| 11.. | 1981—1982 | 7 | 8 | 2 | 2 |
| | | 12—बी | — | 1 | 1 |
| | | 16 | — | 1 | 1 |
| | | 20 | 22 | 3 | 3 |
| | | 25 | — | 1 | 1 |
| | | 28 | — | 1 | 1 |
| | | 34 | — | 1 | 1 |
| | | 41 | — | 1 | 1 |
| 12. | 1982—1983 | 7बी | — | 1 | 1 |
| | | 8 | — | 1 | 1 |
| | | 12—बी | — | 1 | 1 |
| | | 13 | — | 1 | 1 |
| | | 14—ए | 14—बी | 2 | 2 |
| | | 15 | — | 1 | 1 |
| | | 17 | — | 1 | 1 |
| | | 23—बी | — | 1 | 1 |
| | | 23—डी | 23—ई | 2 | 2 |
| | | 25—ए | — | 1 | 1 |
| | | 32 | — | 1 | 1 |
| 13. | 1983—1984 | 7 | — | 1 | 1 |
| | | 10 | — | 1 | 1 |
| | | 17 | — | 1 | 1 |
| | | 19 | 22 | 4 | 4 |
| | | 26 | — | 1 | 1 |
| इन्सपैक्शन नोटः— परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा हि0 प्र0 शिमला दिनांक 22.5.1985 द्वारा निम्नलिखित पैरे अनिर्णीत हैं । | | | | | |
| | | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 14. | 1984—1985 | 7—ए | 7—बी | 2 | 2 |
| | | 7—ई | 7—एफ | 2 | 2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 7–एल | – | 1 | 1 |
| | | 11 | – | 1 | 1 |
| | | 14 | – | 1 | 1 |
| | | 15–बी | – | 1 | 1 |
| | | 16 | – | 1 | 1 |
| | | 19–बी | 19–सी | 2 | 2 |
| | | 20 | – | 1 | 1 |
| | | 20–ए | 20–एच | 8 | 8 |
| | | 21 | 23 | 3 | 3 |
| | | 24–ए | – | 1 | 1 |
| | | 25–ए | 25–एच | 8 | 8 |
| | | 26 | 28 | 3 | 3 |
| | | 30–ई | – | 1 | 1 |
| | | 31–ए | 31–सी | 3 | 3 |
| | | 32 | – | 1 | 1 |
| | | 33–ए | 33–एफ | 6 | 6 |
| | | 34–ए | 34–ई | 5 | 5 |
| | | 35 | 36 | 2 | 2 |
| 15. | 1985–1986 | 14 | 15 | 2 | 2 |
| | | 18–ए | 18–जे | 10 | 10 |
| | | 19 | 21 | 3 | 3 |
| | | 22–ए | 22–बी | 2 | 2 |
| | | 22–डी | 22–ई | 2 | 2 |
| | | 23–ए | 23–बी | 2 | 2 |
| | | 25–बी | 25–सी | 2 | 2 |
| | | 26–ए | – | 1 | 1 |
| | | 26–सी | – | 1 | 1 |
| | | 27 | – | 1 | 1 |
| | | 28–ए | 28–बी | 2 | 2 |
| | | 29–बी | 29–सी | 2 | 2 |
| | | 30 | 31 | 2 | 2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 33–बी | 33–ई | 4 | 4 |
| 16. | 1986–1987 | 4–डी | 4–एफ | 3 | 3 |
| | | 8 | 9 | 2 | 2 |
| | | 10–बी | – | 1 | 1 |
| | | 11–ए | – | 1 | 1 |
| | | 11–सी | – | 1 | 1 |
| | | 12 | 13 | 2 | 2 |
| | | 14–डी | – | 1 | 1 |
| | | 14–ओ | 14–आर | 4 | 4 |
| | | 14–डब्ल्यू | – | 1 | 1 |
| | | 15–ए | – | 1 | 1 |
| | | 15–डी | 15–एफ | 3 | 3 |
| | | 15–एच | – | 1 | 1 |
| | | 15–एल | 15–पी | 5 | 5 |
| | | 18–ए | 18–बी | 2 | 2 |
| | | 19–ए | 19–बी | 2 | 2 |
| | | 20 | 21 | 2 | 2 |
| | | 22–ए–2 | – | 1 | 1 |
| | | 22–बी–2 | – | 1 | 1 |
| | | 22–सी | 22–डी | 2 | 2 |
| | | 24–ए | 24–जी | 7 | 7 |
| | | 24–जे | – | 1 | 1 |
| | | 25 | 26 | 2 | 2 |
| | | 28 | – | 1 | 1 |
| | | 29–ए | 29–ई | 5 | 5 |
| | | 30 | – | 1 | 1 |
| 17. | 1987–1988 | 4–ए | 4–बी | 2 | 2 |
| | | 4–ई | 4–एफ | 2 | 2 |
| | | 9 | 10 | 2 | 2 |
| | | 11डी | – | 1 | 1 |
| | | 13–ए | 13–डी | 4 | 4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 18 | – | 1 | 1 |
| | | 23–ए | – | 1 | 1 |
| | | 23–ई | 23–जी | 3 | 3 |
| 18. | 1988–1989 | 4–ए | 4–बी | 2 | 2 |
| | | 4–डी | 4–एफ | 3 | 3 |
| | | 8 | 9 | 2 | 2 |
| | | 12 | – | 1 | 1 |
| | | 14–बी | – | 1 | 1 |
| | | 14–डी | – | 1 | 1 |
| | | 14–जी से | 14–एल व एन | 7 | 7 |
| | | 17 | – | 1 | 1 |
| | | 19–ए | 19–बी | 2 | 2 |
| | | 22–ए | – | 1 | 1 |
| | | 22–बी–2 | – | 1 | 1 |
| | | 22–सी | 22–डी | 2 | 2 |
| | | 22एफ | – | 1 | 1 |
| | | 22–एच | 22–आई | 2 | 2 |
| 19. | 1989–1990 | 4–डी | – | 1 | 1 |
| | | 9 | – | 1 | 1 |
| | | 12–ए | 12–जी | 7 | 7 |
| | | 13 | – | 1 | 1 |
| | | 14–डी | – | 1 | 1 |
| | | 15 | 16 | 2 | 2 |
| | | 18 | 19 | 2 | 2 |
| | | 21 | – | 1 | 1 |
| | | 22–4 | 22–6 | 3 | 3 |
| | | 24 | – | 1 | 1 |
| | | 28 | – | 1 | 1 |
| | | 29–2 | – | 1 | 1 |
| 20. | 1990–1991 | 4–सी | – | 1 | 1 |
| | | 8 | – | 1 | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 10 | — | 1 | 1 |
| | | 11बी | — | 1 | 1 |
| | | 12—1 | 12—6 | 6 | 6 |
| | | 13 | 14 | 2 | 2 |
| | | 15—ए | 15—सी | 3 | 3 |
| | | 16 | 19 | 4 | 4 |
| 21. | 1991—1992 | 4—ए | — | 1 | 1 |
| | | 4—सी | — | 1 | 1 |
| | | 4—ई | 4—जी | 3 | 3 |
| | | 4—आई | 4—जे | 2 | 2 |
| | | 7 | 8 | 2 | 2 |
| | | 10—ए | 10—एफ | 6 | 6 |
| | | 12—क | — | 1 | 1 |
| | | 12—ख—1 | 12—ख—7 | 7 | 7 |
| | | 12—बी—1—1 | 12—बी—1—4 | 4 | 4 |
| | | 12—बी—2—1 | 12—बी—2—4 | 4 | 4 |
| | | 16 | — | 1 | 1 |
| | | 17—क | — | 1 | 1 |
| | | 17—ख | — | 1 | 1 |
| | | 18 | 21 | 4 | 4 |
| | | 25 | 28 | 4 | 4 |
| | | 29—क | 29—ख | 2 | 2 |
| | | 33—ण | — | 1 | 1 |
| | | 33—च | 33—छ | 2 | 2 |
| | | 33—ञ | — | 1 | 1 |
| | | 33—ठ | — | 1 | 1 |
| 22. | 1992—1993 | 4—ए—1 से ए—5 | बी से आई | 13 | 13 |
| | | 7 | 8 | 2 | 2 |
| | | 10—ए | — | 1 | 1 |
| | | 10—बी | 10—सी | 2 | 2 |
| | | 12 | — | 1 | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 13–क | – | 1 | 1 |
| | | 13–घ | – | 1 | 1 |
| | | 13–च | – | 1 | 1 |
| | | 14–क | – | 1 | 1 |
| | | 17 | 18 | 2 | 2 |
| | | 19–क | 19–ग | 3 | 3 |
| | | 20 | 21 | 2 | 2 |
| | | 22–क | 22–घ | 4 | 4 |
| | | 23–क | 23–ख | 2 | 2 |
| | | 24–क | 24–छ | 7 | 7 |
| 23 | 1993–1994 | 4–बी | – | 1 | 1 |
| | | 4–डी | 4–एफ | 3 | 3 |
| | | 4–अ | 4–स | 3 | 3 |
| | | 7–अ | 7–ब | 2 | 2 |
| | | 9–ए | – | 1 | 1 |
| | | 9–बी | 9–डी | 3 | 3 |
| | | 11 | 13 | 3 | 3 |
| | | 14–ए | 14–एफ | 6 | 6 |
| | | 15–ए | 15–डी | 4 | 4 |
| | भाग–तीन | | | | |
| | | 2 | 7 | 6 | 6 |
| | | 8–क | – | 1 | 1 |
| | | 8–ख–1 | 8–ख–2 | 2 | 2 |
| | | 8–ग | 8–घ | 2 | 2 |
| | | 9 | 14 | 6 | 6 |
| | | 15–क | 15–ग | 3 | 3 |
| | | 16 | 17 | 2 | 2 |
| | | 18–क | 18–घ | 4 | 4 |
| 24. | 1994–1995 | 4–ए | – | 1 | 1 |
| | | 4–सी | 4–एफ | 4 | 4 |
| | | 7–अ | 7–ब | 2 | 2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 9—ए | 9—ई | 5 | 5 |
| | | 9—जी | 9—एच | 2 | 2 |
| | | 10—2—बी | — | 1 | 1 |
| | | 10—6 | — | 1 | 1 |
| | | 10—12 | — | 1 | 1 |
| | | 10—12—ए—1 | — | 1 | 1 |
| | | 10—12—ए—2 | — | 1 | 1 |
| | | 10—13—1 | 10—13—3 | 3 | 3 |
| | | 11 | 13 | 3 | 3 |
| | | 14—क | 14—ख | 2 | 2 |
| | | 15 | 16 | 2 | 2 |
| | | 17—ए | 17—डी | 4 | 4 |
| | | 18 | — | 1 | 1 |
| 25. | 1995—1996 | 4—बी | 4—एफ | 5 | 5 |
| | | 7 | — | 1 | 1 |
| | | 8—1 | 8—2 | 2 | 2 |
| | | 8—बी—1 | 8—बी—3 | 3 | 3 |
| | | 9—1 | — | 1 | 1 |
| | | 9—2 | — | 1 | 1 |
| | | 10—1 | 10—4 | 4 | 4 |
| | | 11 | — | 1 | 1 |
| | | 12—1 | 12—2 | 2 | 2 |
| | | 14 | 15 | 2 | 2 |
| | | 16—1 | 16—3 | 3 | 3 |
| 26. | 1996—1997 | 6—ख | 6—ग | 2 | 2 |
| | | 9 | — | 1 | 1 |
| | | 10—1 | 10—4 | 4 | 4 |
| | | 11—ए—1 | 11—ए—9 | 9 | 9 |
| | | 12—ए | — | 1 | 1 |
| | | 12—ए—2 | — | 1 | 1 |
| | | 12—बी | — | 1 | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 13–क | 13–ख | 2 | 2 |
| | | 15 | – | 1 | 1 |
| | | 17–क | – | 1 | 1 |
| | | 18 | – | 1 | 1 |
| | | 20 | – | 1 | 1 |
| | | 21–1 | 21–2 | 2 | 2 |
| 27. | 1997–1998 | 3–ए–1 | – | 1 | 1 |
| | | 3–ए–3 | – | 1 | 1 |
| | | 3–बी | – | 1 | 1 |
| | | 3–बी–ख | – | 1 | 1 |
| | | 3–सी | 3–डी | 2 | 2 |
| | | 5–ए | 5–जे | 10 | 10 |
| | | 6–क | 6–ख | 2 | 2 |
| | | 7 | – | 1 | 1 |
| | | 9 | – | 1 | 1 |
| | | 10–क | – | 1 | 1 |
| | | 11–ख | – | 1 | 1 |
| | | 12 | 13 | 2 | 2 |
| | | 17–1 | 17–5 | 5 | 5 |
| | | 18 | – | 1 | 1 |
| | | 20 | 23 | 4 | 4 |
| | | 25 | – | 1 | 1 |
| | | 26–क | 26–घ | 4 | 4 |
| | | 26–च | – | 1 | 1 |
| 28. | 1998–1999<br>भाग–दो | 4–बी | – | 1 | 1 |
| | | 6 | – | 1 | 1 |
| | | 10–क | 10–ख | 2 | 2 |
| | | 11–क | 11–ख | 2 | 2 |
| | | 12 | – | 1 | 1 |
| | | 14–ख | 14–ग | 2 | 2 |
| | | 15 | – | 1 | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 16 व 18 | – | 2 | 2 |
| | | 20–क | – | 1 | 1 |
| | | 21 | – | 1 | 1 |
| | | 22–1 | 22–2 | 2 | 2 |
| | | 22–4 | – | 1 | 1 |
| | | 22–6 | – | 1 | 1 |
| 29. | 1999–2000<br>भाग–एक | 2–ख | 2ड. | 4 | 4 |
| | | 2–छ–2 | – | 1 | 1 |
| | | 4–क | – | 1 | 1 |
| | | 4–ख–1 | 4–ख–2 | 2 | 2 |
| | | 5 | – | 1 | 1 |
| | भाग–दो | 3–2 | 3–3 | 2 | 2 |
| | | 4 | – | 1 | 1 |
| | | 7–1 | 7–2 | 2 | 2 |
| | | 7–ख–1 | 7–ख–3 | 3 | 3 |
| | | 8 | 9 व 11 | 3 | 3 |
| | | 13–क | 13–ख | 2 | 2 |
| | | 14 | 15 | 2 | 2 |
| | | 16–क | 16–ख | 2 | 2 |
| | | 17–ख | – | 1 | 1 |
| | | 18 | 19 | 2 | 2 |
| | | 20–क | 20–ग | 3 | 3 |
| | | 21 | – | 1 | 1 |
| | | 23 | 25 | 3 | 3 |
| | | 27 | 31 | 5 | 5 |
| 30. | 2000–01<br>भाग–एक | 6 | 7 | 2 | 2 |
| | भाग–दो | 4–2 | – | 1 | 1 |
| | | 5–1 | 5–22 | 22 | 22 |
| | | 7 | – | 1 | 1 |
| | | 9 | 10 | 2 | 2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 11–1 | 11–3 | 3 | 3 |
| | | 12–1 | 12–2 | 2 | 2 |
| | | 16 | 18 | 3 | 3 |
| | | 19–क | 19–ख | 2 | 2 |
| | | 21 | 22 | 2 | 2 |
| | भाग–तीन | 2 | 6 | 5 | 5 |
| | | | | | |
| 31. | 2001–02<br>भाग–एक | 6–क | – | 1 | 1 |
| | | 7 | 8 | 2 | 2 |
| | | 15 | – | 1 | 1 |
| | | 17 | 19 | 3 | 3 |
| | | 24 | – | 1 | 1 |
| | भाग–दो | 2 | 8 | 7 | 7 |
| | | 10 | 11 | 2 | 2 |
| 32. | 2002–2003 | 7 | – | 1 | 1 |
| | भाग–दो | 6 | 7 | 2 | 2 |
| | | 8–क | 8–ख | 2 | 2 |
| | | 9 | 10 | 2 | 2 |
| | | 12 | 13 | 2 | 2 |
| | | 15–क | 15–ज | 8 | 8 |
| | | 16 | 17 | 2 | 2 |
| | | 19 | 21 | 3 | 3 |
| | | 23 | 26 | 4 | 4 |
| | | 27–क | – | 1 | 1 |
| | | 28 | 31 | 4 | 4 |
| | | 34 | – | 1 | 1 |
| | भाग–तीन | 2 | 6 | 5 | 5 |
| | | 7–क | – | 1 | 1 |
| | | 7–ग | 7–घ | 2 | 2 |
| | | 8 | – | 1 | 1 |
| | भाग–चार | 3 | – | 1 | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33. | 2003–04<br>भाग–एक | 6–क | – | 1 | 1 |
| | | 7–क | – | 1 | 1 |
| | भाग–2 | 6–क | 6–ग | 3 | 3 |
| | | 7 | 9 | 3 | 3 |
| | | 11 | 16 | 6 | 6 |
| | | 18 | 20 | 3 | 3 |
| | | 22–2 | – | 1 | 1 |
| | | 24 | 29 | 6 | 6 |
| | | 31–क | – | 1 | 1 |
| | | 31–घ | – | 1 | 1 |
| | | 32–क | 32–ड. | 5 | 5 |
| | भाग–तीन | 3 | 7 | 5 | 5 |
| | भाग–चार | 2–ख | 2–छ | 6 | 6 |
| | | 2–ज(1) | 2–ज(2) | 2 | 2 |
| | | 3–क | 3–च | 6 | 6 |
| 34 | 2004–05<br>भाग–एक | 6–क | – | 1 | 1 |
| | | 7–क–1 | – | 1 | 1 |
| | | 7–क–3 | – | 1 | 1 |
| | | 7–ख–3 | – | 1 | 1 |
| | भाग–दो | 1 | – | 1 | 1 |
| | | 4 | – | 1 | 1 |
| | | 6 | 7 | 2 | 2 |
| | | 9 | 11 | 3 | 3 |
| | | 13 | 22 | 10 | 10 |
| | | 24 | 26 | 3 | 3 |
| | | 28 | – | 1 | 1 |
| | | 33 | – | 1 | 1 |
| | | 35 | – | 1 | 1 |
| | | 36 | 37 | 2 | 2 |
| | | 39 | 42 | 4 | 4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | भाग—तीन | 2 | — | 1 | 1 |
| | | 4 | — | 1 | 1 |
| 35. | 2005—06<br>भाग—एक | 6—क | — | 1 | 1 |
| | | 7—क—1 | — | 1 | 1 |
| | | 7—क—3 | — | 1 | 1 |
| | | 7—ख—3 | — | 1 | 1 |
| | भाग—दो | 6 | 8 | 3 | 3 |
| | | 10 | 12 | 3 | 3 |
| | भाग—तीन | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | | 3—1 | — | 1 | 1 |
| | | 3—3 | 3—5 | 3 | 3 |
| | | 4—2 | — | 1 | 1 |
| | | 5 | 6 | 2 | 2 |
| | | 7—1 | 7—4 | 4 | 4 |
| | | 7—5—क | 7—5ख | 2 | 2 |
| | | 8 | — | 1 | 1 |
| | | 9—1—क | 9—1—ड. | 5 | 5 |
| | भाग—चार | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 36. | 2006—07<br>भाग—एक | 7—क—1 | — | 1 | 1 |
| | | 7—क—3 | — | 1 | 1 |
| | | 7—ख—3 | — | 1 | 1 |
| | भाग—दो | 1 | — | 1 | 1 |
| | | 7 | 9 | 3 | 3 |
| | | 13 | — | 1 | 1 |
| | | 14—1—1 | 14—1—5 | 5 | 5 |
| | | 14—2 | — | 1 | 1 |
| | | 14—3—1 | — | 1 | 1 |
| | | 14—4 | — | 1 | 1 |
| | | 14—9 | — | 1 | 1 |
| | भाग—3 | 2—ख | 2—ग | 2 | 2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2–च | – | 1 | 1 |
| | | 2–झ | – | 1 | 1 |
| | | 3–ग | 3–ड. | 3 | 3 |
| 37. | 2007–08 भाग–2 | 2(iv) | - | 1 | 1 |
| | | 6(i) | - | 1 | 1 |
| | | 7(1)(i) | - | 1 | 1 |
| | | 8(4) | - | 1 | 1 |
| | | 16 | 19 | 4 | 4 |
| | | 20(i) | 20(2) | 2 | 2 |
| | | 21 | 24 | 4 | 4 |
| | | 25(iv) | - | 1 | 1 |
| | भाग–तीन | 2(ii) | 2(vi) | 5 | 5 |
| | | 3(3) | 3(4) | 2 | 2 |
| 38. | 2008–09 | 2(3) (vi) | - | 1 | 1 |
| | | 7(1) (i) | - | 1 | 1 |
| | | 7(1) (iv) | - | 1 | 1 |
| | | 7(1) (vi) | - | 1 | 1 |
| | | 7(1) (vii) | - | 1 | 1 |
| | | 8(4) | - | 1 | 1 |
| | | 16 | 17 | 2 | 2 |
| | | 19 | 31 | 13 | 13 |
| | | 33 | 37 | 5 | 5 |
| | | 38(i) | 38(v) | 5 | 5 |
| | | 40 | - | 1 | 1 |
| | भाग–3 | 2 | 7 | 6 | 6 |
| | भाग–4 | 2–ख | 2–च | 5 | 5 |
| | | 3–क | 3–घ | 4 | 4 |
| 39.. | 2009–2010 | 2(6) | - | 1 | 1 |
| | | 6(i) | - | 1 | 1 |
| | | 6(iii) | 6(iv) | 2 | 2 |
| | | 7(i) | - | 1 | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 7(iv) | - | 1 | 1 |
| | | 8(3) | - | 1 | 1 |
| | | 17(1)& | 17(3) | 2 | 2 |
| | | 18(i) | 18(ii) | 2 | 2 |
| | | 19,21,22 & | 24 | 4 | 4 |
| | | 25(i) | 25(iii) | 3 | 3 |
| | | 26(i) | 26(ii) | 2 | 2 |
| | | 27 | 28 | 2 | 2 |
| | | 30 | - | 1 | 1 |
| | | 31(i) | - | 1 | 1 |
| | | 32 | 35 | 4 | 4 |
| | | 35(ii) | - | 1 | 1 |
| | | 37 | 43 | 7 | 7 |
| | | 45 | - | 1 | 1 |
| | | 46(i) | 46(iv) | 4 | 4 |
| | भाग–3 | 4 | - | 1 | 1 |
| | भाग–4 | 1 | 12 | 12 | 12 |
| | | 13(i) | 13(4) | 4 | 4 |
| 40. | 2010–11 | 3(ii) | - | 1 | 1 |
| | | 13 | - | 1 | 1 |
| | | 15 | 23 | 9 | 9 |
| | | 25 | 26 | 2 | 2 |
| | | 28 | – | 1 | 1 |
| | | 30 | 31 | 2 | 2 |
| | | 33 | 34 | 2 | 2 |
| | | 37 | 41 | 5 | 5 |
| | | 42- क | 42- ख | 2 | 2 |
| | | 43 | 48 | 6 | 6 |
| | | 50(i) | 50(v) | 5 | 5 |
| | | 52 | - | 1 | 1 |
| 41. | 2011–12 | 3(ii) | - | 1 | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 4(ii) | - | 1 | 1 |
| | | 13 | - | 1 | 1 |
| | | 15 | 29 | 15 | 15 |
| | | 31 | - | 1 | 1 |
| | | 33 | 35 | 3 | 3 |
| 42. | 2012–13 भाग–2 | 8 (iii) | - | 1 | 1 |
| | | 15 | - | 1 | 1 |
| | | 18 | 20 | 3 | 3 |
| | | 21 | 22 | 2 | 2 |
| | | 24 | 26 | 3 | 3 |
| | | 28 | 30 | 3 | 3 |
| | | 31(2) | - | 1 | 1 |
| | | 32 | - | 1 | 1 |
| 44. | 2013–2014 | 3(i) | 3(iii) | 3 | 3 |
| | | 4(ii) | - | 1 | 1 |
| | | 5(iii) | - | 1 | 1 |
| | | 7(iii) | - | 1 | 1 |
| | | 13 | - | 1 | 1 |
| | | 14 | - | 1 | 1 |
| | | 15(i) | 15(ii) | 2 | 2 |
| | | 16 | - | 1 | 1 |
| | | 17 | - | 1 | 1 |
| | | 18 | - | 1 | 1 |
| | | 19 | - | 1 | 1 |
| | | 20 | - | 1 | 1 |
| | | 21(1) | - | 1 | 1 |
| | | 21(2)1 | 21(2) 5 | 5 | 5 |
| | | 21(2) 7 | 21(2)8 | 2 | 2 |
| | | 21(3) 3 | 21(3) 4 | 2 | 2 |
| | | 21(4) (1) | 21(4) 3 | 3 | 3 |
| | | 21(5)(1) | 21(5)3 | 3 | 3 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 22(1) | 22(3) | 3 | 3 |
| | | 23 | 26 | 4 | 4 |
| | | 28 | 32 | 5 | 5 |
| 45 | 2014—2015 | 4-1 | 4-3 | 3 | 3 |
| | | 5-1 | — | 1 | 1 |
| | | 8(पप) | — | 1 | 1 |
| | | 9 | — | 1 | 1 |
| | | 12 | — | 1 | 1 |
| | | 14 | — | 1 | 1 |
| | | 15(1) | 15(4) | 4 | 4 |
| | | 16 | 18 | 3 | 3 |
| | | 19(1) | 19(3) | 3 | 3 |
| | | 20 | 22 | 3 | 3 |
| | | 24 | 26 | 3 | 3 |
| | | 27(1) | 27(5) | 5 | 5 |
| | | 28 | — | 1 | 1 |
| 46 | 2015—2016 | 4-1 | 4-3 | 3 | 3 |
| | | 5-1 | — | 1 | 1 |
| | | 6-2 | — | 1 | 1 |
| | | 7 | — | निर्णीत | पैरे को पुनः प्रारुपित किया गया। |
| | | 8 | — | निर्णीत | पैरे को पुनः प्रारुपित किया गया। |
| | | 9 | — | 1 | 1 |
| | | 12 | 14 | 3 | 3 |
| | | 15(1) | 15(5) | 5 | 5 |
| | | 16 | — | 1 | 1 |
| | | 17 | 17(1) | 2 | 2 |
| | | 18 | 21 | 4 | 4 |
| | | 22(1) | 22(3) | 3 | 3 |
| | | 23 | — | निर्णीत | पैरे को पुनः प्रारुपित किया गया। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 24 | 25 | 2 | 2 |
| | | 26 | — | निर्णीत | पैरे को पुनः प्रारुपित किया गया। |
| | | 27(1) | 27(3) | 3 | 3 |
| | | 28 | — | 1 | 1 |
| | | 29(1) | 29(3) | 3 | 3 |
| | | 29(4)(1) | 29(4)(2) | 2 | 2 |
| | | 30 | — | 1 | 1 |
| | | 31(1) | 31(4) | 4 | 4 |

**नोटः— इसके अतिरिक्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2005—2006 भाग—पांच के पैरा 1(डी) में वर्णित अनिर्णीत अधियाचनाऐं लम्बे समय से अनिर्णीत हैं।**